

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
प्रारूप सोलह

[ नियम 19 (2) देखिये ]

[ धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना ]

ग्वालियर, दिनांक 27 अप्रैल, 2023

क्र./ग्वा.वि.प्रा./प्लानिंग/23/3073.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम), नगर विकास स्कीम क्रमांक 04 अर्थात् हवाई अड्डे से शताब्दीपुरम होते हुए साडा तक 40 मी. चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क के आसपास योजना ग्राम लखमीपुर, मज, विक्रमपुर, अकबरपुर खालसा, जमाहर, जलालपुर, मालनपुर, गंगापुर, पुरानी छावनी, खेरियाभान, रायरू (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :—

संक्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
					1	2
1	महेंद्र सिंह पुत्र डाँगर सिंह	मुरार	लखमोपुर	1/1	1.1600	0.7100
2	हातम सिंह पुत्र दुनडेर सिंह	मुरार	लखमोपुर	1/2		
3	सोकत खा पुत्र बाटन खा	मुरार	लखमोपुर	1/3/1		
4	हातम सिंह पुत्र दुनडेर सिंह	मुरार	लखमोपुर	1/3/2		
5	(शासकीय)	मुरार	लखमोपुर	19/1/1		
6	खेमराज पुत्र भगवान	मुरार	लखमोपुर	19/1/2		
7	सोकत खा पुत्र बाटन खा	मुरार	लखमोपुर	19/2		
8	सुरेन्द्र सिंह नरवरीया पुत्र विजय सिंह नरवरीया	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/1	0.0710	
9	सिंधाराम पुत्र पातीराम	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/2	0.6350	
10	रामवरन सिंह पुत्र लाकमनासिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/3	0.1760	
11	शान्ते पाति गिरन्द्र सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/4	0.1760	
12	गरोसिंह पुत्र गिरन्द्र सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/5	0.0100	
13	तेजसिंह पुत्र भारतसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/6	0.1730	
14	राकेश, दिलैप, विनोद पुत्र सुल्तानसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	1/7	0.1760	
15	(शासकीय)	गिर्द ग्वालियर	मऊ	2	0.1670	
16	कस्तूरी, रामवरनसिंह, रचना पुत्र जन्देल सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	3/1	0.3030	
17	अशोक, उत्तमसिंह, मुकेश पुत्र रामदुलारे	गिर्द ग्वालियर	मऊ	3/2	0.3140	
18	जामेलाथी पब्लो रामवरनसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	3/3	0.3030	
19	रामअखित्यारसिंह पुत्र ब्रह्मभानसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	4	0.9300	
20	अजुन सिंह, विश्वामिसिंह पुत्र प्रतापसिंह/गब्बर, रवि पुत्र होतमसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	5/1	0.4080	
21	जसवंत पुत्र सीताराम	गिर्द ग्वालियर	मऊ	5/2	0.1980	
22	प्रमवंत पुत्रो रामजीलाल	गिर्द ग्वालियर	मऊ	5/3	0.2090	
23	मादिर श्री गणगोपा माफ़ी	गिर्द ग्वालियर	मऊ	6	1.1500	
24	रामअखित्यारसिंह पुत्र ब्रह्मभानसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	7	0.8050	
25	होतम सिंह पुत्र बद्रीसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	8	0.5230	
26	नारायणसिंह पुत्र लालकेशन	गिर्द ग्वालियर	मऊ	9	0.7730	
27	श्री कृष्ण, लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्द ग्वालियर	मऊ	10	0.5750	
28	गोरालाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्द ग्वालियर	मऊ	11	0.7320	
29	(शासकीय)	गिर्द ग्वालियर	मऊ	12	0.1670	
30	जावेत्री, कल्याणसिंह, रूपसिंह पुत्र चतुर सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	13	0.7630	
31	सिंकंदर पुत्र द्वारिका/राजवीर, हमासिंह, सुरेन्द्र पुत्र कासीराम	गिर्द ग्वालियर	मऊ	14/1	0.6620	
32	रामसहाय, इन्दर सिंह, रामबरन पुत्र चौधरीसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	14/2	0.3310	
33	पूर्नसिंह पुत्र रामसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	15/1/1	0.3920	
34	ग्याना पुत्र रामदुलारे	गिर्द ग्वालियर	मऊ	15/1/2	0.1200	
35	श्री कृष्ण, लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्द ग्वालियर	मऊ	15/2	0.5120	
36	माहनसिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	16	0.5020	
37	दंवन्द्र सिंह राजपूत पुत्र मनोराम राजपूत	गिर्द ग्वालियर	मऊ	17	0.6270	
38	मोहनसिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	18	0.4180	
39	भौकमसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र कदमसिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	19	0.6890	
40		गिर्द ग्वालियर	मऊ	20	0.6800	
41	धनश्री पब्लो सुरेन्द्र सिंह/भगवानसिंह पुत्र नारायण सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	21	0.5230	
42	धनसुन्दर पुत्र श्रीलाल	गिर्द ग्वालियर	मऊ	22/1	0.6795	
43	धनसुन्दर पुत्र श्रीलाल	गिर्द ग्वालियर	मऊ	22/2	0.3135	
44	कप्तानसिंह पुत्र रामनारायण	गिर्द ग्वालियर	मऊ	23	0.9510	
45	रामआख्यार सिंह पुत्र ब्रह्मान सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	24/1/1	0.2823	
46	रामआख्यार सिंह पुत्र ब्रह्मान सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	24/1/2	0.0627	

47	रामअंखियार सिंह पुत्र ब्रह्मान सिंह	गोद खालियर	मऊ	24/2	0.2090
48		गोद खालियर	मऊ	25	
49	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	26	0.2090
50	मोहनसिंह पुत्र दुनटोसेह	गोद खालियर	मऊ	27/1	0.8780
51	साबरन सिंह पुत्र मनाहर सिंह	गोद खालियर	मऊ	27/2	0.8680
52	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	28/1	0.3580
53	रामबरनसेह पुत्र जन्दल सिंह	गोद खालियर	मऊ	28/2	0.1230
54	अशोक, उत्तमसेह, मुकेश पुत्र रामदुलारे	गोद खालियर	मऊ	28/3	0.4810
55	श्रीबाकीविहारी कस्ट्रक्षण कपनी द्वारा पाटनर	गोद खालियर	मऊ	28/4	0.4710
56	शेलन्द्र कुमार, प्रेम सागर पुत्र आमप्रकाश	गोद खालियर	मऊ	29	0.0210
57	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	30	0.0210
58	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	31	0.1460
59	देवन्द्र सिंह, मनोजसेह पुत्र मनोराम	गोद खालियर	मऊ	32	0.4080
60	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	33	0.1150
61	माहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	34	0.4080
62	रामअंखियार सिंह पुत्र नल्हूसेह	गोद खालियर	मऊ	35	0.1050
63	जीतन्द्र सिंह, रामकुमार पुत्र स्व. सिंकदरासेह	गोद खालियर	मऊ	36	0.1990
64	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	37	0.1050
65	जयसेह कुशवाह पुत्र सूबेदार सिंह कुशवाह	गोद खालियर	मऊ	38	0.3870
66	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	39	0.1150
67	जीतन्द्र सिंह, पुत्र अजय सिंह/विनयकुमारराय पुत्र दयानन्द राय	गोद खालियर	मऊ	40	0.1635
68	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	42	0.1205
69	कपान सिंह पुत्र रामनारायण सिंह	गोद खालियर	मऊ	43	0.7985
70	ठाकुरदास पुत्र टेकराम	गोद खालियर	मऊ	44/1	0.3720
71	मुनन्द्रसेह, योगन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह	गोद खालियर	मऊ	44/2	
72	गोरेताल पुत्र बिन्द्रावन	गोद खालियर	मऊ	45	0.1780
73	गोरेताल पुत्र बिन्द्रावन	गोद खालियर	मऊ	46	0.0520
74	गोरेताल पुत्र बिन्द्रावन	गोद खालियर	मऊ	47	0.0420
75	गोरेताल पुत्र बिन्द्रावन	गोद खालियर	मऊ	48	0.1053
76	(शासकीय)	गोद खालियर	मऊ	93	0.0410
77	लक्ष्मणसेह पुत्र रामचंद्र	गोद खालियर	मऊ	94	0.0630
78	लक्ष्मणसेह पुत्र रामचंद्र	गोद खालियर	मऊ	95/1	0.4390
79	सुशील पुत्र दशन सिंहलाठी	गोद खालियर	मऊ	95/2	0.5120
80	याना पुत्र रामदुलारे	गोद खालियर	मऊ	96/1	
81	आमप्रकाश, धूव सिंहपुत्र दशन सिंह	गोद खालियर	मऊ	96/2	0.4097
82	रुस्तम, सोलासेह पुत्र प्रेमसेह	गोद खालियर	मऊ	96/3	
83	रुस्तम, सोलासेह पुत्र प्रेमसेह	गोद खालियर	मऊ	97	0.3067
84	भगवती बंवा श्याम लाल	गोद खालियर	मऊ	344	0.2673
85	टिकू, संजय पुत्र शिवचरण/धर्मवीरसिंह, शिवनारायणसिंह पुत्र रामदपाल	गोद खालियर	मऊ	345	0.2925
86	गोता, शिला हेमसेह पुत्र कासीराम	गोद खालियर	मऊ	382	0.0780
87	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	383	0.0210
88	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	384	0.0670
89	रामाधार, भगवानदास पुत्र श्यामलाल	गोद खालियर	मऊ	386/1	
90	माधुरी पत्नी आर. पी. सिंह	गोद खालियर	मऊ	386/2	0.3580
91	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	386/3	
92	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	387	0.0730
93	कमल सिंह पुत्र राम सिंह	गोद खालियर	मऊ	388	4.1999
94	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	389	0.2190
95	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	390	0.2720
96	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	391	0.3660
97	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	392	0.5960
98	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	393	0.4810
99	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	394	0.4810
100	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसेह	गोद खालियर	मऊ	395	0.4810
101	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	396	0.5230
102	रामअंखियार सिंह पुत्र नल्हूसेह	गोद खालियर	मऊ	397	0.4700
103	शासकीय	गोद खालियर	मऊ	398/1	0.0940
104	जगदीश पुत्र ऊरुगा	गोद खालियर	मऊ	398/2/1	0.0840
105	श्रीराम रियलइन्फ्रास्ट्रक्चर	गोद खालियर	मऊ	398/2/2	0.3130
106	रामकली पत्नी देवसेह	गोद खालियर	मऊ	398/3	0.2720

107	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	मऊ	399	0.0420
108	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	मऊ	400/1	0.0940
109	माधोसिंह, परमाल सिंह	गिर्द ग्वालियर	मऊ	400/2	0.8050
110	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	मऊ	401	0.3031
111	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	मऊ	402	0.1893
112	नरात्म, वासुदेव पुत्र राम सिंह	मुरार	विक्रमपुर	35/1/1	0.1290
113	रामस्वरूप सिंह राजपूत पुत्र रामगोपाल सिंह राजपूत	मुरार	विक्रमपुर	35/1/2	
114	बारलाल, टिलूराम पुत्र राजाराम	मुरार	विक्रमपुर	35/2	
115	अशोक सिंह, कल्लू पुत्र भरासी	मुरार	विक्रमपुर	36/1	
116	लाकमनासिंह पुत्र गिरन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/2	
117	गरासिंह पुत्र गिरन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/3	0.2996
118	तजासिंह पुत्र भारतसिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/4	
119	शांति पनी गिरन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/5	
120	राकश, दिलोप, विनाद पुत्र सुल्तानसिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/6	
121	ठाकुरदास पुत्र टकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/1	
122	मानासिंह पुत्र टकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/2/1	0.9311
123	मानासिंह पुत्र टकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/2/2	
124	रामकटारा पनी टकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/3	
125	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	62	0.2221
126	मंदिर	मुरार	विक्रमपुर	110	0.0694
127	राजद्रेसिंह पुत्र नारायण सिंह	मुरार	विक्रमपुर	111/1	0.0161
128	अजमरसिंह पुत्र रामानंद	मुरार	विक्रमपुर	111/2	0.2432
129	ठाकुरदास पुत्र टकराम	मुरार	विक्रमपुर	112	0.8460
130	बाबूलाल, पुत्र भूरासिंह/रामबाई पनी सुघरासिंह	मुरार	विक्रमपुर	113	0.6270
131	परमार सिंह, योगन्द्र सिंह पुत्र फुलासिंह	मुरार	विक्रमपुर	114	0.0730
132	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	115	0.0480
133	छत्रपाल पुत्र सदाराम	मुरार	विक्रमपुर	116	0.1990
134	महेंद्र सिंह, अनुरुद्ध सिंह पुत्र सुघरासिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/1	0.8437
135	बाबूलाल, पुत्र भूरासिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/2	
136	रूपसेह पुत्र भूरासिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/3	
137	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	118	0.3340
138	त्रिवेणी, भगवंत सिंह पुत्र बिद्रावन लोधी	मुरार	विक्रमपुर	119	0.0420
	परसराम पुत्र शंकर सिंह/लक्ष्मी नारायण सिंह पुत्र स्व.			120	0.1184
139	शोभा राम	मुरार	विक्रमपुर	215/1	0.4650
140	श्रीमती रखा पनी मुरारी	मुरार	विक्रमपुर	215/2	0.5690
141	श्रीमती एकी पनी मनीष	मुरार	विक्रमपुर	215/3	0.1050
142	श्रीमती सीमा शर्मा पनी बालकृष्ण शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	216/1/1	3.2287
143	अजय, कमलेश, पुत्र रामजी लाल लोधी	मुरार	विक्रमपुर	216/1/2	
144	कमल सिंह, चरण सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	216/1/3	
145	इन्द्र सिंह, रामधर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/4	
146	महेश, कल्लू पुत्र भूषण सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/5	
147	मुरारी सिंह पुत्र बद्री सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/6	
148	लोटन सिंह, सुधर सिंह पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	216/1/8	
149	श्रीमती वेमला बाई पनी महेंद्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/1/1	0.1045
150	रसाल सिंह पुत्र गिरवर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/1/2	0.2715
151	अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	217/2	0.3760
152	बिरेन्द्र सिंह पुत्र बद्री सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/3	0.3770
153	सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह	मुरार	विक्रमपुर	218	0.3030
154	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	219	0.2190
155	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	220/1	0.0210
156	भारतीलोधी पुत्र फरन सिंह/महेंद्र सिंह लोधी पुत्र चिम्मन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/2/1	0.2090
157	रूप सिंह पुत्र भूरे सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/2/2	0.2090
158	केशव यादव पुत्र अतर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/3	0.2090
159	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	220/4	0.4180
160	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	221	0.4080
161	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	222	0.0870
162	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	223	0.1055
163	खेमराज सिंह पुत्र भगवान सिंह	मुरार	विक्रमपुर	224	0.4490
164	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	228	0.1886
165	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	229	4.7030
166	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	280	0.1360

168.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	281	0.1360
169.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	282	0.1050
170.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	283	0.9119
171.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	284	0.6060
172.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	285	0.1050
173.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	286	0.0730
174.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	287	1.3380
175.	जगत्राय पुत्र नाथू सिंह	मुरार	विक्रमपुर	288	0.2300
176.	वधमान गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित	मुरार	विक्रमपुर	289	0.1570
177.	वधमान गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित	मुरार	विक्रमपुर	290	0.1570
178.	वधमान गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित	मुरार	विक्रमपुर	291	0.1780
179.	वधमान गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित	मुरार	विक्रमपुर	292	0.3750
180.	गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित बाल मुकुद शमा	मुरार	विक्रमपुर	293	0.3870
181.	गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित बाल मुकुद शमा	मुरार	विक्रमपुर	294	0.4180
182.	गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित बाल मुकुद शमा	मुरार	विक्रमपुर	295	0.3970
183.	गृह निमोण सहकारी सामोते मयोदित बाल मुकुद शमा	मुरार	विक्रमपुर	296	0.7210
184.	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	297	0.8360
185.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	298	0.7520
186.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	299	3.6580
187.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	300	0.9930
188.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	301	0.0840
189.	सुधर सिंह, रामनरेश पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	302/1	0.0210
190.	बादामी, सहीद्रा, पुत्र बद्री सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/2	0.0200
191.	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	302/3	0.0210
192.	इन्द्र सिंह, रामध्वर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/4	0.2500
193.	दीवान सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/5	0.0210
194.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	303	0.1150
195.	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	304/3	0.2500
196.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	327	0.0337
197.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	328	0.0730
198.	केशव पुत्र गणेश राम	मुरार	विक्रमपुर	329	0.1990
199.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	330	0.0210
200.	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	331	0.0354
	रामा पुत्र भगरी सिंह/श्री माते विमला बाई पली बलवीर			332	0.4391
201.	सिंह	मुरार	विक्रमपुर	333	0.0420
202.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर		
203.	ज्ञानमती मेमोरियल शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति	मुरार	विक्रमपुर	334/1	0.3750
204.	प्रगोद सिंह, नागन्द सिंह पुत्र जन्देल सिंह	मुरार	विक्रमपुर	334/2	0.3670
205.	रेखा पली जसवत सिंह	मुरार	विक्रमपुर	335	0.0310
206.	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	336/1	0.5430
207.	अजोत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	336/2/1	0.1260
208.	अजोत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	336/2/2	0.4180
209.	शकर सिंह पुत्र घारोराम	मुरार	विक्रमपुर	337/1	0.3130
210.	राकेश सिंह, रुपेश सिंह पुत्र वशुदेव सिंह	मुरार	विक्रमपुर	337/2	0.3140
211.	श्रीराम रियलइफ्स्टार्टक्चर/जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	338/1	0.2660
212.	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	338/2	0.0890
213.	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	339/1	0.0140
214.	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	339/2	0.1010
215.	श्रीराम रियलइफ्स्टार्टक्चर/जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	340	0.4180
216.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	341	0.1570
217.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	342	0.5330
218.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	343	0.8460
219.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	344	0.5850
220.	राकेश सिंह, रुपेश सिंह पुत्र वशुदेव सिंह	मुरार	विक्रमपुर	345	0.3760
221.	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	346	0.3450
222.	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	347	1.0240
223.	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	348	0.8880
224.	आमेता बाई, बटी पुत्र मनोराम	मुरार	विक्रमपुर	349	0.8880
225.	इन्द्र सिंह, रामध्वर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	350	0.1880
226.	नीतू पली प्रह्लाद सिंह	मुरार	विक्रमपुर	351	0.1780
227.	शारदा, गाता पुत्री रामबाबू	मुरार	विक्रमपुर	352/1	0.0750
228.	पीपी राह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	352/2	0.0770

229	महेश, कल्लू पुत्र भूप सिंह	मुरार	विक्रमपुर	352/3	0.0820
230	दीवान सिंह, रघुवर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	352/4	0.0800
231	कुमारी स्थे, प्रदीप नरवरेया पुत्र शिवचरण लाल	मुरार	विक्रमपुर	353	0.1880
232	अशोक कुमार, प्रदीप सिंह पुत्र शिवचरण	मुरार	विक्रमपुर	354/1	0.2090
233	जीतन्द्र पुत्र भवर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	354/2	0.2090
234	सुधर सिंह, रामनरेश पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	355/1	0.0990
235	महेश, कल्लू पुत्र भूप सिंह	मुरार	विक्रमपुर	355/2	0.0990
236	पापा सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	355/3	0.0990
237	दीवान सिंह, रघुवर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	355/4	0.1000
238	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	356	2.9570
239	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	357	0.3493
240	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	358	0.9138
241	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	359	1.4090
242	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	360	0.5960
243	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/1	0.3240
244	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/2	0.3230
245	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/3	0.2400
246	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/4	0.1050
247	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	362	1.1180
248	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/1	0.2300
249	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/2	0.2300
250	शासकीय जो.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/3	0.2400
251	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	364	0.0630
252	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	365	0.0420
253	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	366	0.0110
254	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	1	0.1360
255	रोवन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	2	0.9510
256	शलेन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	3	0.4353
257	शलेन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	4/1	0.0123
258	गजन्द्र सिंह, धर्मन्द्र सिंह पुत्र राजद्र सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	4/2	
259	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	6	0.0853
260	तारान सिंह पुत्र रामासिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	6/1/2	
261	तारान सिंह पुत्र रामासिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	52/1	0.3684
262	शांती पुत्री गरासिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	52/2	
263	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	53	0.0520
264	विमला बाई, राजद्री, सरोज पुत्री सियाराम	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	54/1	0.2250
265	अशोक पुत्र श्यामलाल	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	54/2	0.1200
266	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	55	0.0375
267	आमप्रकाश सिंह पुत्र सुधर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	56	0.0856
268	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	58	0.0482
269	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	59	0.0398
270	गब्बर सिंह पुत्र सुधर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	146	0.1536
271	गब्बर सिंह पुत्र सुधर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	147	0.1302
272	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	148	0.0401
273	अशोक पुत्र श्यामलाल	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	149	0.1050
274	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	150	0.0420
275	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	151	0.0100
276	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	152	0.3760
277	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	153	0.4206
278	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	155	0.0241
279	आमप्रकाश सिंह पुत्र सुधर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	156	0.2805
280	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	158	0.0311
281	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	159	0.0228
282	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	160	0.0349
283	अजय, कल्लू, चरण सिंह पुत्र उत्तम सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	161	0.1570
284	कन्हैया लाल, काशीप्रशाद पुत्र मानोसिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	162	0.3970
285		गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	163/1	
286	श्री मर्ती देवी पली धर्मवीर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	163/2/1	0.3742
287	सुबारस हुत्र काशीराम	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	163/2/2	
288	दिनेश पुत्र कामल सिंह / चरण सिंह पुत्र हातमोसिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	171	0.0151
289	शासकीय	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	2/6	0.0054
290	रामनिवास, भवर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	277/1	
291	फूलवती बेवा सुधर सिंह	गोद खालियर	अकबरपुर खालसा	277/2	0.0108

292	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	517	0.0074
293	कोमल सिंह, मेवाराम पुत्र परसराम/चरण सिंह पुत्र होतमसिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	518/1	
294	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	518/2	0.7386
295	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	518/3	
296	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	518/4	
297	सुरश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिर्द घालियर	जमाहर	520	0.1338
298	सुरश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिर्द घालियर	जमाहर	521	0.0653
299	सुरश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिर्द घालियर	जमाहर	522	0.0100
300	साहद्राबाई, बफोबाई, निमेल सिंह पुत्र ढालासिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	523	0.3140
301	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	524	0.0940
302	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	525	0.0100
303	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	526	0.0210
304	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	527	1.1180
305	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	528	0.1670
306	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	529	0.0420
307	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	530	0.0310
308	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	531	0.4073
309	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	532/1	0.3620
310	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	532/2	0.3790
311	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	532/3	0.1990
312	कोमल सिंह, मेवाराम पुत्र परसराम/चरण सिंह पुत्र होतमसिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	532/4	0.0310
313	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	533	0.0100
314	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	534	0.1460
315	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	535	0.0420
316	सियाराम पुत्र महाराज सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	536/1	0.4070
317	अशोक, मनोज पुत्र श्यामलाल	गिर्द घालियर	जमाहर	536/2	0.3870
318	आतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	537	0.0420
319	अशोक, मनोज पुत्र श्यामलाल	गिर्द घालियर	जमाहर	538	0.0210
320	चतुर सिंह पुत्र खमराजसिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	539	0.5960
321	चतुर सिंह पुत्र खमराजसिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	540	0.1050
322	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	542	0.0969
323	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	543	0.0917
324	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	544	0.0948
325	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	545	0.2400
326	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	546	0.1460
327	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	547	0.0100
328	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	548	0.0100
329	आतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	549/1	0.3030
330	कोमल सिंह, पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	549/2	0.3450
331	बलवीर सिंह लाल्हा पुत्र धनेशराम सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	550	0.6270
332	भारत सिंह, धनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द घालियर	जमाहर	551	0.0100
333	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	552	0.1150
334	कलावती, भौकम सिंह पुत्र कदम सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	553	0.4080
335	भारत सिंह, धनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द घालियर	जमाहर	554	0.3760
336	कलावती, भौकम सिंह पुत्र कदम सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	555	0.0420
337	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	556	0.3140
338	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	557	0.2930
339	लोलाबाई पली हांरालाल	गिर्द घालियर	जमाहर	558/1	
340	मेवाराम पुत्र परसराम	गिर्द घालियर	जमाहर	558/2	0.3286
341	हमा, पक्षज, सोरव पुत्र मांहरदल	गिर्द घालियर	जमाहर	558/3	
342	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	627	0.0276
343	धन्नो बाई, कोक सिंह पुत्र हरीसिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	647/1	0.4197
344	देवन्द्र सिंह पुत्र हारा लाल	गिर्द घालियर	जमाहर	647/2	
345	देवन्द्र सिंह पुत्र हारा लाल	गिर्द घालियर	जमाहर	648	0.2151
346	सरदार सिंह पुत्र बुद्ध सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	649	0.3970
347	सरदार सिंह पुत्र बुद्ध सिंह	गिर्द घालियर	जमाहर	650	0.0310
348	लच्छा, भौमसिंह, शेर सिंह पुत्र सरनाम	गिर्द घालियर	जमाहर	651	0.6170
349	देवन्द्र सिंह पुत्र हारा लाल	गिर्द घालियर	जमाहर	652/1	0.0420
350	शासकीय	गिर्द घालियर	जमाहर	652/2	0.9090
351	दंतन्द्र सिंह, धनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द घालियर	जमाहर	653	0.3030
352	भारत सिंह, धनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द घालियर	जमाहर	654	0.3760

353	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द खालियर	जमाहर	655/1	0.1050
354	कलवती, भौकमसिंह, सुल्तानासिंह पुत्र कदम सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	655/2	0.4700
355	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिर्द खालियर	जमाहर	656/1	1.0870
356	कलवती, भौकमसिंह, सुल्तानासिंह पुत्र कदम सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	656/2	1.0870
357	बाबुलाल पुत्र हरनारायण	गिर्द खालियर	जमाहर	657	0.6270
358	मातोराम, रामबाबू पुत्र कुवरलाल	गिर्द खालियर	जमाहर	658/1	0.1350
359	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	658/2	0.1050
360	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	659	0.0730
361	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	797	0.1639
362	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	798	0.2520
363	हरनारायण, मनोज, पुत्र होतमसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	901	0.1420
364	रावसिंह लाठी, अनेलासींह लाठी पुत्र इन्द्रजीत	गिर्द खालियर	जमाहर	902/1	0.4225
365	ओमप्रकाश, राकेश, गुड्डो पुत्र श्याम लाल	गिर्द खालियर	जमाहर	902/2	
366	ओमप्रकाश, राकेश, गुड्डो पुत्र श्याम लाल	गिर्द खालियर	जमाहर	903	0.4910
367	रूपसिंह, सुदरासिंह पुत्र रामप्रसाद	गिर्द खालियर	जमाहर	904	0.3140
368	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	905	0.0520
369	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	906	0.1250
370	सियाराम, सरनाम, राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	907	0.4610
371	अशोक, भौकमसिंह, मधराज पुत्र सरमन	गिर्द खालियर	जमाहर	908	0.2479
372	रामजीलाल पुत्र रामचंद्र	गिर्द खालियर	जमाहर	916	0.0790
373	हारेविलास पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	939/1	
374	रामदयाल पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	939/2	0.1947
375	सूधर सिंह पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	939/3	
376	रामजीलाल, दीवान सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र रामभरोसे	गिर्द खालियर	जमाहर	939/4	
377	राधेकशन पुत्र मंगोराम	गिर्द खालियर	जमाहर	940	0.4820
378	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	941	0.2473
379	भगवती, वीरासिंह पुत्र खेमराज सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	942/1	0.9610
380	राधेकशन पुत्र मंगोराम	गिर्द खालियर	जमाहर	942/2	0.3870
381	वीर सिंह, पुत्र नव्या सिंह/धारा सिंह पुत्र सुधरसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	943	0.9200
382	केशव शमो, संदीप शमो पुत्र ओमप्रकाश शमो	गिर्द खालियर	जमाहर	944	0.0310
383	केशव शमो, संदीप शमो पुत्र ओमप्रकाश शमो	गिर्द खालियर	जमाहर	945	0.0338
384	प्रकाशो पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/1	
385	भजनलाल पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/2	
386	लंजा राम पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/3	0.8082
387	विश्वनाथ पुत्र स्व. तुलसीराम	गिर्द खालियर	जमाहर	946/4	
388	मुनोम पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/5	
389	लंजा राम पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/6	
390	तुलसीराम पुत्र खच्चू	गिर्द खालियर	जमाहर	946/7	
391	हारेविलास पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	947/1	0.3953
392	रामदयाल पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	947/2	
393	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	948	0.1867
394	रामचंद्र पुत्र चतुरा	गिर्द खालियर	जमाहर	949/1	0.5072
395	मनोराम पुत्र चतुरा	गिर्द खालियर	जमाहर	949/2	
396	मनोराम पुत्र चतुरा	गिर्द खालियर	जमाहर	950	0.0630
397	शेरोसिंह, पुत्र सरनाम/सियाराम पुत्र अमरसिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	951	1.0660
398	कप्तान सिंह पुत्र चतुरासिंह/केरण पुत्र नवल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	952	1.0140
399	कप्तान सिंह पुत्र चतुरासिंह/केरण पुत्र नवल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	953	0.0310
400	सोनेरामपत्र अजमर सिंह/मातोराम पुत्र कुवर लाल	गिर्द खालियर	जमाहर	954	1.0970
401	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	955/1	0.7400
402	धमवीरासिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	955/2	0.7400
403	भूप सिंह पुत्र पत्रा लाल	गिर्द खालियर	जमाहर	956	0.0100
404	शासकीय	गिर्द खालियर	जमाहर	957	0.5330
405	कान्तोप्रशाद, कशी पुत्र कुजी लाल	गिर्द खालियर	जमाहर	958	1.0100
406	केशव शमो, संदीप शमो पुत्र ओमप्रकाश शमो	गिर्द खालियर	जमाहर	959	0.0310
407	रामचंद्र पुत्र धन्सुन्दर/रामप्पारी पुत्रों परमाल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	960	0.6370
408	केशव शमो, संदीप शमो पुत्र ओमप्रकाश शमो	गिर्द खालियर	जमाहर	961	0.0210
409	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	962/1/1	
410	धमवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	962/1/2	0.8652
411	मंवा राम पुत्र परसराम	गिर्द खालियर	जमाहर	962/2/1	
412	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिर्द खालियर	जमाहर	962/2/2	
413	रामली, भारती पुत्री होमासिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	962/2/3	
414	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जमाहर	963/1	
415	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिर्द खालियर	जमाहर	963/2/1	

416	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिरद खालियर	जमाहर	963/2/2	0.0002
417	शासकीय	गिरद खालियर	जमाहर	963/2/3	
418	कान्तप्रशाद, काशी पुत्र कुंजी लाल	गिरद खालियर	जमाहर	964	0.7520
419	घासीराम पुत्र फेरन सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	965/1	0.2100
420	अजमर सिंह, कप्तान सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	965/2	0.1140
421	धमवीर सिंह पुत्र मगल सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	965/3	0.3760
422	शिवदेवी पुत्री घासीराम	गिरद खालियर	जमाहर	965/4/1	0.1360
423	शासकीय	गिरद खालियर	जमाहर	965/4/2	0.2400
424	मातीराम पुत्र ढालसिंह	गिरद खालियर	जमाहर	965/5	0.4280
425	केशरबाई, अनीता पुत्री नारायण सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	966	0.0210
426	कान्तप्रशाद, काशी पुत्र कुंजी लाल	गिरद खालियर	जमाहर	967	1.3060
427	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	968	0.0310
428	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	969	0.0630
429	पूरण सिंह पुत्र फूल सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	970	0.9610
430	वीर सिंह पुत्र नर्थी सिंह/रामसहाय पुत्र छोटेलाल	गिरद खालियर	जमाहर	971	0.2930
431	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	972	0.1250
432	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	973	0.0100
433	भरासी, कलावती पुत्री रामासिंह	गिरद खालियर	जमाहर	974/1	0.0520
434	रामभरोसी पुत्र रामासेह	गिरद खालियर	जमाहर	974/2	0.1050
435	रमेश पुत्र भगवानलाल	गिरद खालियर	जमाहर	974/3	0.0720
436	रामसेवक पुत्र भगवानलाल	गिरद खालियर	जमाहर	974/4	0.0530
437	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	975	0.0210
438	भागवती पुत्री मोहन सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	976/1	0.3110
439	रामभरोसी पुत्र रामासेह	गिरद खालियर	जमाहर	976/2	0.2060
440	केशरबाई, अनीता पुत्री नारायण सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	976/3	0.1480
441	रूपासेह पुत्र भगवानलाल	गिरद खालियर	जमाहर	976/4	0.1680
442	रामसेवक पुत्र भगवानलाल	गिरद खालियर	जमाहर	976/5	0.1160
443	रमेश पुत्र भगवानलाल	गिरद खालियर	जमाहर	976/6	0.0960
444	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	977	0.0100
445	भगवती, सीताराम पुत्र फेरन सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	978/1	0.2460
446	घासी राम पुत्र फेरनसेह	गिरद खालियर	जमाहर	978/2	0.6000
447	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिरद खालियर	जमाहर	979	0.4246
448	महेश पुत्र रामदीन/रामदुलार, बनवारी पुत्र पंचम सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	980	1.0231
449	रामदीन, रामनरेश पुत्र देवासिंह	गिरद खालियर	जमाहर	981	0.4700
450	सुधर सिंह पुत्र रामासेह	गिरद खालियर	जमाहर	982	0.4910
451	भागवती, वीरासेह पुत्र खेमराज सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	983/1	0.1460
452	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	983/2	0.4290
453	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	984/1	1.1810
454	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	984/2	0.0210
455	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	985	0.0420
456	वीरासेह पुत्र नर्थी सिंह/धारा सिंह पुत्र सुधर सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	986	0.5430
457	धरमवीर सिंह पुत्र छोटेलाल	गिरद खालियर	जमाहर	987/1	0.2870
458	सुधर सिंह पुत्र रामचरण/बुद्धसेह पुत्र छोटेलाल	गिरद खालियर	जमाहर	987/2	0.2930
459	सीमा पुत्री खाली/केशवती पुत्री मंधासेह	गिरद खालियर	जमाहर	988	0.5330
460	भागवती, वीरासेह पुत्र खेमराज सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	989	0.1570
461	भागवती, वीरासेह पुत्र खेमराज सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	990/1	0.4490
462	राधेकेशन पुत्र मुगाराम	गिरद खालियर	जमाहर	990/2	0.4390
463	पारवती, गनपत पुत्र श्रीराम	गिरद खालियर	जमाहर	991	0.9930
464	रामप्रकाश, रामनरेश पुत्र देवासिंह	गिरद खालियर	जमाहर	992/1	1.4834
465	रामप्रकाशसेह पुत्र देवासिंह/धारासेह पुत्र सुधर सिंह	गिरद खालियर	जमाहर	992/2	
466	महेंद्र सिंह यादव पुत्र रूप सिंह यादव	गिरद खालियर	जलालपुर	40/1	
467	श्रीमती राधा बाई पनी प्रेमासेह यादव	गिरद खालियर	जलालपुर	40/2	0.0331
468	श्रीमती हमलता यादव पली साबरन सिंह यादव	गिरद खालियर	जलालपुर	40/3	
469	श्रीमती हमलता यादव पली साबरन सिंह यादव	गिरद खालियर	जलालपुर	44	0.2930
470	कमल सिंह पुत्र ओछे सेह	गिरद खालियर	जलालपुर	45	0.1050
471	कमल सिंह पुत्र ओछे सेह	गिरद खालियर	जलालपुर	46	0.0210
472	कमल सिंह पुत्र ओछे सेह	गिरद खालियर	जलालपुर	47	0.0840
473	शासकीय	गिरद खालियर	जलालपुर	48	0.0775
474	रघुवीर सिंह, पतुआ पुत्री सीताराम	गिरद खालियर	जलालपुर	51	0.3686
475	भगतान सिंह, उत्त शनीराम	गिरद खालियर	जलालपुर	52	0.0910
476		गिरद खालियर	जलालपुर	53	0.0507
477	लच्छीराम पुत्र ओछोसेह	गिरद खालियर	जलालपुर	54	0.0346
478	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिरद खालियर	जलालपुर	88	0.3479

479	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	89	0.1780
480	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	90	0.0210
481	कंदार सिंह पुत्र हवालदार सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	91	0.1780
482	नौरुपुत्र परमल सिंह/जबर सिंह पुत्र जगदीश सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	92	0.9510
483	रामकरन पुत्र कुवर पाल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	93	0.2610
484	कुलदीप सिंह पुत्र कुलवत सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	94	0.6170
485	रामरत्न पुत्री रूप सिंह/हुकम सिंह पुत्र काशीराम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	95/1	0.3314
486	ओमप्रकाश पुत्र विजय सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	95/2	
487	मथुराबाई/कुसुम, अनीता पुत्री गुलाब सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	97	0.3348
488	कोशल किशोर पुत्र शिवचरन लाल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	101	0.1105
489	कोशल किशोर पुत्र शिवचरन लाल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	102	0.3845
490	सुरेन्द्र सिंह,भृपद सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	103	0.8460
491	मणि सिंह पुत्र खमान सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	104	0.5640
492	मंगल सिंह पुत्र खमान सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	105	0.0420
493	सल्वन्दकोर बवा राजेंद्र सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	106/1	0.4180
494	कुलवतकोर पनी अमरीक सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	106/2	0.2090
495	अमरीका सिंह पुत्र दशन सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	106/3	0.1990
496	डॉगर सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	107	0.0940
497	सुधर सिंह पुत्र करण सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	108	0.1050
498	छोटे सिंह पुत्र लाला राम/कुवर देव पुत्र लल्ला राम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	109	0.0730
499	रघुवीर सिंह,पूरण सिंह पुत्र सोताराम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	110	0.7520
500	रघुवीर सिंह,पूरण सिंह पुत्र सोताराम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	111	0.7210
501	मंगल सिंह पुत्र खमान सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	112	0.0420
502	देवलाल पुत्र बालमुकुन्द	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	113	0.2935
503	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	114/1	0.2452
504	देवलाल पुत्र बालमुकुन्द	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	114/2	
505	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	114/3	0.0940
506	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	115/1	
507	जबर सिंह,रविन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	115/2/1	0.0210
508	जान सिंह,सुधर सिंह पुत्र रामचरन	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	115/2/2	0.0210
509	पारा बाई बैवा गुलाब सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	115/2/3	0.0310
510	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	115/3	0.0310
511	सल्वन्दकोर बवा राजेंद्र सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	116	0.4700
512	मनजीतगील पुत्र अमरजीत सिंह गिल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	117	0.1050
513	मनजीतगील पुत्र अमरजीत सिंह गिल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	118	0.1570
514	छोटे सिंह पुत्र लाला राम/कुवर देव पुत्र लल्ला राम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	119	0.3660
515	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	120	0.1360
516	जयेंद्र सिंह पुत्र बाबू लाल कृशवाह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	121	0.5020
517	अमरजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	122	0.6060
518	सुरेश पुत्र ब्रदी	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	123	0.5960
519	पारा बाई बैवा गुलाब सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	124	0.3870
520	परमजीतकोर पनी हरजीत सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	125	0.1460
521	सल्वन्दकोर बवा राजेंद्र सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	126	0.8150
522		गिरद ग्वालियर	जलालपुर	127	0.0000
523	बिंदल देव मादर चरीटबल ट्रस्ट	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	128/1	0.0140
524	सल्वन्दकोर बवा राजेंद्र सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	128/2	0.2470
525	फरनासेह पुत्र हरदेव सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	128/429	0.0100
526	हारालाल पुत्र धनेशराम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	129	0.1481
527	बादाम, रामचरन पुत्र झल्ला	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	130	0.1623
528	दवी सिंह, अमरसेह पुत्र भगवान लाल	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	131	0.0310
529		गिरद ग्वालियर	जलालपुर	132	0.4170
530	शासकाय	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	133	0.2820
531	अनवर खान, जलौल खान पुत्र बसीर खान	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	134	0.0630
532	वाहिद खान, आहशान खान पुत्र बसीर खान	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	135	0.2090
533	दवेन्द्र सिंह, रावे पुत्र अजुन सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	136	0.1780
534	दवेन्द्र सिंह, रावे पुत्र अजुन सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	137	0.0210
535	पर्चम सिंह, निरपत सिंह पुत्र राम सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	138	0.2820
536	वाहिद खान, आहशान खान पुत्र बसीर खान	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	139	0.0840
537	सुधर सिंह यादव पुत्र करण सिंह यादव	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	140	0.2190
538	प्रताप सिंह पुत्र ज्योति राम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	141	0.1150
539	श्रीमती गिरजा दत्ती पोते राजेंद्र सिंह	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	142	0.5540
540	प्रताप सिंह पुत्र ज्योति राम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	143/1	0.3970
541	भगवान् सिंह पुत्र धनेशराम	गिरद ग्वालियर	जलालपुर	143/2	0.3970

542	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	144	0.4280
543	भगवान् सिंह पुत्र धनेशम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	145/1	0.1470
544	कमल सिंह पुत्र ओढ़ोसह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	145/2	0.0520
545	खूबी पुत्र खच्छु	गिर्द घोलियर	जलालपुर	146/1	0.1770
546	नरेन्द्रसिंह पुत्र तोताराम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	146/2	0.1780
547	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	146/430	0.0210
548	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	147	0.2479
549	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	148	0.2610
550	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	149	0.3550
551	भगवान् सिंह, गोपाल सिंह पुत्र इन्द्रवन	गिर्द घोलियर	जलालपुर	150	0.3760
552	राजद्र सिंह पुत्र माया राम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	151	0.0210
553	राजद्र सिंह पुत्र माया राम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	152	0.5020
554	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	153/1/1	0.7030
555	हरजीत सिंह पुत्र साधूसिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	153/1/2	0.0600
556	सत्वन्दकर बवा राजद्र सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	153/2/1	0.7110
557	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	153/2/2	0.0520
558	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	154	0.2930
559	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	155	0.1780
560	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	156	0.2559
561	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	157	0.2090
562	अमरजीत पुत्र हरदयाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	158/1	0.1570
563	अमरजीत पुत्र हरदयाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	158/2	0.6270
564	अमरजीत पुत्र हरदयाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	159/1	0.1500
565	अनवर खान, जलोल खान पुत्र बसीर खान	गिर्द घोलियर	जलालपुर	159/2	0.1570
566	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	160	0.1780
567	अमरजीत पुत्र हरदयाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	161/1	0.1360
568	हबीब खान पुत्र इरफान खान	गिर्द घोलियर	जलालपुर	161/2	0.2190
569	हबीब खान पुत्र इरफान खान	गिर्द घोलियर	जलालपुर	162	0.8460
570	गुरमीत सिंहपुत्र दशन सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	204/1	0.1343
571	गुरमीत सिंहपुत्र दशन सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	204/2	0.2090
572	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	206	0.1460
573	जगमहेन, नारायण सिंह पुत्र बाबू सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	207	0.4080
574	रामबरनसिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	208/1	0.0600
575	घनश्याम पुत्र देवी	गिर्द घोलियर	जलालपुर	208/2	0.1750
576	सोनम राय पुत्री श्रीमाति दीपमाला राय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	208/3	0.1750
577	शांति देवी बवा रामदयाल	गिर्द घोलियर	जलालपुर	208/4	0.1750
578	जसकरन पुत्र अमरजीत गिल	गिर्द घोलियर	जलालपुर	210/1	0.1734
579	विशन सिंह बेस पुत्र रामप्रकाश बेस	गिर्द घोलियर	जलालपुर	210/2	0.2245
580	गोपाल पुत्र प्रताप सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	219	0.1055
581	सरनाम सिंह पुत्र राजाराम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	220	0.0852
582	जयदेवी पलीं बाबू लाल	गिर्द घोलियर	जलालपुर	221	0.2262
583	सरनाम सिंह पुत्र राजाराम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	222	0.0630
584	गोविन्द सिंह, जयसिंह पुत्र छोटीसिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	223/1	0.4180
585	सुरेन्द्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	223/2	0.3420
586	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	223/3	0.0860
587	डॉगर सिंह, कप्तानसिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	224	0.0520
588	जसकरन पुत्र अमरजीत गिल	गिर्द घोलियर	जलालपुर	225/1/1	0.0210
589	अमरजीत पुत्र हरदयाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	225/1/2	0.2930
590		गिर्द घोलियर	जलालपुर	225/2	0.1250
591	रामबरन सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	226	0.0210
592	कप्तान सिंह पुत्र मोहनलाल	गिर्द घोलियर	जलालपुर	227/1	0.3860
593	सावित्री, अमर सिंह पुत्र रामासेह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	227/2	0.3870
594	मुकेश, नरेश पुत्र हरिशराम	गिर्द घोलियर	जलालपुर	228/1	0.3140
595	सावित्री, अमर सिंह पुत्र रामासेह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	228/2	0.2610
596	रामबरनसिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	228/3	0.0940
597	बाबू सिंह पुत्र लाला राम / बदनसेह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	229	0.1570
598	बाबू सिंह पुत्र लाला राम / बदनसेह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	230	0.9610
599	मोरा बाई, भूरी बाई पुत्री लक्ष्मण सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	231	0.0420
600	सुरेन्द्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	232	0.1780
601		गिर्द घोलियर	जलालपुर	233	0.0000
602		गिर्द घोलियर	जलालपुर	234	0.0000
603	शासकीय	गिर्द घोलियर	जलालपुर	235/1	0.5760
604	सुरेन्द्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द घोलियर	जलालपुर	235/2	0.0200

605		गिर्द खालियर	जलालपुर	236	0.5750
606	सुरेन्द्र सिंह, भूपंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	237	0.4700
607	सुरेन्द्र सिंह, भूपंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	238	0.2090
608	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	239	0.4910
609	सत्वन्दकार बवा राजद्र सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	240/1	0.4500
610	कमलजीत पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	240/2	0.2190
611	अमरकांत सिंह पुत्र दशन सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	240/3	0.2300
612	विन्दावन सिंह पुत्र भगाना	गिर्द खालियर	जलालपुर	241/1	0.4390
613	सुरेन्द्र सिंह, भूपंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	241/2	0.4180
614	अनवर खान, जलील खान पुत्र बसीर खान	गिर्द खालियर	जलालपुर	242	0.1050
615	गफकार खान, सहोद खान पुत्र बसीर खान	गिर्द खालियर	जलालपुर	243	0.1360
616	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	244	0.0630
617	सुरेन्द्र सिंह, भूपंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	245	0.5020
618	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	246	0.0940
619	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	247	0.0940
620	सुरेश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिर्द खालियर	जलालपुर	248	0.1732
621	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	249	0.0840
622	कौशल किशार पुत्र शिवचरनलाल	गिर्द खालियर	जलालपुर	250	0.4700
623	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	251	0.2610
624	अनवर खान, जलील खान पुत्र बसीर खान	गिर्द खालियर	जलालपुर	252	1.0760
625	हरचरण, सुरजीत सिंह पुत्र साधू सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	253	0.0940
626	हिरा लाल पुत्र धनीराम	गिर्द खालियर	जलालपुर	254	0.2610
627	हिरा लाल पुत्र धनीराम	गिर्द खालियर	जलालपुर	255	0.5430
628	हिरा लाल पुत्र धनीराम	गिर्द खालियर	जलालपुर	256	0.5430
629	शासकीय	गिर्द खालियर	जलालपुर	257	0.2204
630	मोहनलाल पुत्र प्यारेलाल	गिर्द खालियर	जलालपुर	258	0.0100
631	राय सिंह, बलाकेशन पुत्र रामरतन	गिर्द खालियर	जलालपुर	260	0.2381
632	राय सिंह, बलाकेशन पुत्र रामरतन	गिर्द खालियर	जलालपुर	261	0.1352
633	डाँगरासेह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	262	0.3450
634	डाँगरासेह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	263	0.3030
635	डाँगरासेह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	264	0.1570
636	डाँगरासेह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिर्द खालियर	जलालपुर	265/1	0.1050
637	मोहनलाल पुत्र प्यारेलाल	गिर्द खालियर	जलालपुर	265/2	0.1050
638	अमराक रामरतन	गिर्द खालियर	जलालपुर	266/1	0.0100
639	हारिराम पुत्र गनेशा	गिर्द खालियर	जलालपुर	266/2	0.0100
640	हारिराम पुत्र गनेशा	गिर्द खालियर	जलालपुर	267	0.5540
641	आभेषक, सोनाला पुत्री सुग्रीव	गिर्द खालियर	जलालपुर	268	0.3450
642	आभेषक, सोनाला पुत्री सुग्रीव	गिर्द खालियर	जलालपुर	269	0.4810
643		गिर्द खालियर	जलालपुर	271	0.0000
644	किला, मंगलिया पुत्र खुमान	गिर्द खालियर	जलालपुर	272	0.2767
645	किला, मंगलिया पुत्र खुमान	गिर्द खालियर	जलालपुर	273	0.1570
646	भगवान् सिंह पुत्र धनीराम	गिर्द खालियर	जलालपुर	274	0.0269
647	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	115/1	0.0073
648	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	115/2	
649	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	115/3	
650	श्रीमती चमली पत्नी रामासेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/1	0.4442
651	विजयराम पुत्र रामासेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/2	
652	सोनराम पुत्र रामासेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/3	
653	अर्जुन पुत्र रामासेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/4	
654	उत्तमासेह पुत्र सियाप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/5/1	
655	पूरण पुत्र सियाप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/5/2	
656	बलवीर सिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	116/5/3	
657	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	117	0.0420
658	नारायणीवाई, रमेश पुत्र पत्नालाल	गिर्द खालियर	मालनपुर	118/1	0.2190
659	बद्रीप्रसाद पुत्र मोहनसेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	118/2	0.2190
660	रामस्वरूप पुत्र मोहनसेह	गिर्द खालियर	मालनपुर	118/3	0.2190
661	रामवाई पत्नी प्रीतम सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	118/4	0.2190
662	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	119	0.0520
663	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	120	0.0420
664	जेनाडवलपरप्राइवेटलिमिटेड डायरेक्टर मुकेश जेन	गिर्द खालियर	मालनपुर	121/1	0.1460
665		गिर्द खालियर	मालनपुर	121/2	0.1470
666	कोमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	गिर्द खालियर	मालनपुर	122	0.2720
667	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	123	0.1670

668	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	124	0.1780
669	सुरेन्द्र सिंह, नन्दकिशार पुत्र कदम सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	125/1	0.1780
670	रत्नराम पुत्र गोरलाल	गिर्द खालियर	मालनपुर	125/2	0.1670
671	सुरेन्द्र सिंह, नन्दकिशार पुत्र कदम सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	126/1/1	0.1570
672	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	126/1/2	0.1150
673	रत्नराम पुत्र गोरलाल	गिर्द खालियर	मालनपुर	126/1/3	0.0420
674	रत्नराम पुत्र गोरलाल	गिर्द खालियर	मालनपुर	126/2	0.0520
675	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	127/1	0.0840
676	रामबाई पत्नी प्रतिम सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	127/2	0.1460
677	अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप	गिर्द खालियर	मालनपुर	128	0.1150
678	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	129	0.0840
679	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	130/1	0.0210
680	बदनासिंह, मूणराम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	130/2	0.0100
681	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	130/3	0.0100
682	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	131/1	0.1050
683	बदनासिंह, मूणराम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	131/2	0.1250
684	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	132/1	0.0520
685	बदनासिंह, मूणराम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	132/2	0.0630
686	रामओतारासह पुत्र बदीप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	132/3	0.1880
687	फरनासिंह पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	132/4	0.1880
688	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	132/5	0.1880
689	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	133	0.0420
690	बदनासिंह, मूणराम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	134	0.0520
691	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	135	0.0730
692	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	136	0.4810
693	रामभूर पुत्र ओछासिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	137	0.7420
694	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	138	0.0210
695	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	139	0.4390
696	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	140	0.0210
697	रत्नराम पुत्र गोरलाल	गिर्द खालियर	मालनपुर	141	0.7840
698	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	142/1	0.0520
699	किशनकुमार पुत्र कपडानासिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	142/2/1	0.2190
700	बचनासिंह पुत्र कपडानासिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	142/2/2	0.2200
701	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	143/1	0.0520
702	ब्रजसिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	143/2/1	0.5480
703	रामबटी पत्नी गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	143/2/2	0.0890
704	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	144	0.1250
705	सुरेन्द्र सिंह, नन्दकिशार पुत्र कदम सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	145/1	0.2090
706	रामभूर पुत्र ओछासिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	145/2	0.2090
707	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	146	0.0100
708	जनकसिंहपुत्र खच्छसिंह/विक्रमसिंह यादव पुत्र दाताराम	गिर्द खालियर	मालनपुर	147	0.4390
709	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	148	0.2510
710	बलवंशरासिंह पुत्र सियाराम	गिर्द खालियर	मालनपुर	149	0.1250
711	बलवंशरासिंह पुत्र सियाराम	गिर्द खालियर	मालनपुर	150	0.1477
712	सरनासिंह, भूरेसिंह पुत्र कालोचरन	गिर्द खालियर	मालनपुर	151	0.1153
713	दुर्गाप्रसाद, प्रतापसिंह पुत्र महाराजासिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	155	0.3158
714	चतुरासिंह पुत्र खच्छराम	गिर्द खालियर	मालनपुर	156	0.3312
715	रामबटी पत्नी गोपाल सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	157	0.0420
716	बदनासिंह, मूणराम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	158/1	0.0730
717	रामओतारासिंह पुत्र बदीसिंह	गिर्द खालियर	मालनपुर	158/2	0.0730
718	फरनासिंह पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	158/3	0.0730
719	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिर्द खालियर	मालनपुर	158/4	0.0730
720	दिनश, आशादवी, बल्ली पुत्र रामभरासे	गिर्द खालियर	मालनपुर	159/1	0.3450
721	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	159/2	0.2300
722	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	160	0.0730
723	रागमुसारी पत्नी जगदीपाराह	गिर्द खालियर	मालनपुर	161	0.2076
724	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	169/1	
725	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	169/2	0.0591
726	जगदीशसिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	175/1	
727	सुधरासिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिर्द खालियर	मालनपुर	175/2	0.2157
728	शासकीय	गिर्द खालियर	मालनपुर	176/1/1	
729	मूसाकेत्री पत्नी शिवनारायण	गिर्द खालियर	मालनपुर	176/1/2	

730	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	176/2/1
731	गोपालसेहुपत्र विन्दावन/लाखनासेहु पुत्र भगवानलाल	गिर्द घालियर	मालनपुर	176/2/2
732	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	177
733	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	178
734	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	179
735	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	180
736	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	181
737	सुरन्द्र सिंह, नदाकेशार पुत्र कदम सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	186
738	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	188
739	बदन सिंह, मंगा राम पुत्र नारायण सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	189/1
740	रामओतार सिंह पुत्र बैदो सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	189/2
741	फरनासेहु पुत्र खरगजीत	गिर्द घालियर	मालनपुर	189/3
742	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिर्द घालियर	मालनपुर	189/4
743	जसवंत, नोमा सेहु पुत्र नारायण सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	190/1
744	फरनासेहु पुत्र खरगजीत	गिर्द घालियर	मालनपुर	190/2
745	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	191
746	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	192
747	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	193
748	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	194
749	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	195
750	साम्शेलादेवी पत्नी जसवंत सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	196
751	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	197/1
752	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	197/2
753	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	197/3/1
754	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	197/3/2
755	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	197/4
756	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	198
757	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	199/1
758	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	199/2
759	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	199/3
760	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	199/4
761	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	200
762	कलावती, दुग्गा प्रसाद पुत्र महाराज सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	201
763	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	202
764	भौखा सिंह पुत्र किशना	गिर्द घालियर	मालनपुर	203
765	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	204
766	विजयराम पुत्र राम सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	205/1
767	सानेराम पुत्र रामसेहु	गिर्द घालियर	मालनपुर	205/2
768	अजुन पुत्र रामसेहु	गिर्द घालियर	मालनपुर	205/3
769	जगदीश सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिर्द घालियर	मालनपुर	206
770	श्रीमतीचमला, श्रीमती मुन्नी पुत्री रामसेहु	गिर्द घालियर	मालनपुर	207/1
771	सानेराम पुत्र रामसेहु	गिर्द घालियर	मालनपुर	207/2
772	उत्तमासेहु पुत्र सिया प्रसाद	गिर्द घालियर	मालनपुर	207/3/1
773	जगदीश सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिर्द घालियर	मालनपुर	207/3/2
774	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	208
775	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	209
776	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	210
777	मरखनासेहु पुत्र कपान सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	211
778	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	212
779	सुधर सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिर्द घालियर	मालनपुर	213
780	सुधर सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिर्द घालियर	मालनपुर	214
781	रामबटी पत्नी गोपाल सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	215
782	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	216
783	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	217
784	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	218
785	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	219
786	उगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	220
787	रामपटी पत्नी गोपाल सिंह	गिर्द घालियर	मालनपुर	221
788	सरनाम सिंह, भूरे सिंह पुत्र कालोचरन	गिर्द घालियर	मालनपुर	222
789	सरनाम सिंह, भूरे सिंह पुत्र कालोचरन	गिर्द घालियर	मालनपुर	223
790	फरनासेहु पुत्र खरगजीत	गिर्द घालियर	मालनपुर	238
791	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	239
792	शासकीय	गिर्द घालियर	मालनपुर	240

793	रामकली, सौनु पुत्र मायाराम	गिरद खालियर	मालनपुर	241	0.2610
794	आशादेवी, दिनेश पुत्र रामभरोसे	गिरद खालियर	मालनपुर	242	0.0100
795	रामपाल, दोलातेया पुत्र देवाराम	गिरद खालियर	मालनपुर	243	0.2330
796	शासकीय	गिरद खालियर	मालनपुर	244	0.0420
797	नंतराम, कहाइ पुत्र गोरो	गिरद खालियर	मालनपुर	245	0.0520
798	शासकीय	गिरद खालियर	मालनपुर	246/1	0.2000
799	रामपाल, दोलातेया पुत्र देवाराम	गिरद खालियर	मालनपुर	246/2	0.0510
800	शासकीय	गिरद खालियर	मालनपुर	247	0.4180
801	चतुर सिंह पुत्र खच्छराम	गिरद खालियर	मालनपुर	248/1	0.2090
802	विनाद, भरत पुत्र लालसिंह	गिरद खालियर	मालनपुर	248/2	0.7840
803	शासकीय	गिरद खालियर	मालनपुर	249	0.1570
804	रघुवर पुत्र बंदी सिंह	गिरद खालियर	मालनपुर	250	0.0828
805	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	445	0.0325
806	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	446	0.0153
807	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	451	0.0762
808	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	452	0.1500
809	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	453	0.0310
810	महेन्द्र सिंह, जनक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	454/1	0.8050
811	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	454/2	0.2090
812	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	455	0.0940
813	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	456	0.0520
814	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	457	0.0210
815	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	458	0.1360
816	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	459	0.5200
817	पायल यादव, दिव्यांस यादव पुत्र सिकंदर यादव	गिरद खालियर	गंगापुर	460	0.3837
818	उदल सिंह यादव, सगुन कमरिया पुत्र अजुन सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	461	0.7057
819	उदल सिंह यादव पुत्र अजुन सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	462	0.3095
820	वीरसेहं, मचल सिंह पुत्र हांकम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	468	0.1537
821	वीरसेहं, मचल सिंह पुत्र हांकम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	469/1/1	
822	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद खालियर	गंगापुर	469/1/2	
823	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	469/2	0.0792
824	नीमा सिंह पुत्र फूल सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	469/3	
825	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद खालियर	गंगापुर	469/4	
826	नौरज पुत्र मलखान	गिरद खालियर	गंगापुर	476/1/1	
827	दशरथ सिंह पुत्र फोदल सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	476/1/2	0.0959
828	बादाम पुत्र जगरनाथ सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	476/2/1	
829	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	476/2/2	
830	पुरषोत्तम, सुमेरा पुत्र मातीराम	गिरद खालियर	गंगापुर	477/1	
831	पुरषोत्तम, सुमेरा पुत्र मातीराम	गिरद खालियर	गंगापुर	477/2	0.9949
832	वीरसेहं, मचल सिंह पुत्र हांकम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	477/3	
833	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	478	0.0520
834	गोता कुसुम पुत्री हांकम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	479	0.4080
835	मुम्ती बाई, रिकू गोड पुत्र ओमप्रकाश गोड	गिरद खालियर	गंगापुर	480/1	0.9371
836	बाबूलाल, पुत्र पत्ना लाल	गिरद खालियर	गंगापुर	480/2	
837	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	481	0.3585
838	हेमंत सिंह पुत्र मुलायम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	483/1	0.3420
839	रामेश्वरदयाल पुत्र हबेलास राठोर	गिरद खालियर	गंगापुर	483/2	0.3410
840	लखन सिंह पुत्र हरनाम सिंह	गिरद खालियर	गंगापुर	483/3	0.3410
841	हांकम सिंह पुत्र मन्त्री	गिरद खालियर	गंगापुर	484/1	0.3254
842	उत्तमासेहं पुत्र केसना	गिरद खालियर	गंगापुर	484/2	
843	उत्तमासेहं पुत्र केसना	गिरद खालियर	गंगापुर	485	0.0310
844	उत्तमासेहं पुत्र केसना	गिरद खालियर	गंगापुर	486	0.1614
845	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	488	0.1126
846	रामस्वरूप, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौमा	गिरद खालियर	गंगापुर	490	0.0198
847	विनाद सिंह तामर पुत्र रामरूपा   सिंह तामर	गिरद खालियर	गंगापुर	502	0.1586
848	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	503	0.0030
849	रामकेश, मुनेश पुत्र आदीराम	गिरद खालियर	गंगापुर	506/1	
850	कमलश जाटव पुत्र रामवीर जाटव	गिरद खालियर	गंगापुर	506/2	0.1462
851	कल्पना शिवहरे पत्नी रामस्वरूप शिवहरे	गिरद खालियर	गंगापुर	506/3	
852	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	518	0.0172
853	रज्ज, बालकिशन पुत्र शंकर	गिरद खालियर	गंगापुर	519	0.1257
854	शासकीय	गिरद खालियर	गंगापुर	521	0.0264
855	हांकम सिंह पुत्र मन्त्री	गिरद खालियर	गंगापुर	528/1	0.0209

856	नेतराम पुत्र मत्री	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	528/2	0.0005
857	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	533	0.2207
858	शिव सिंह यादव पुत्र दामोदर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	534/1	
859	जगदीश कुमार धाकड़ पुत्र जसवत सिंह धाकड़	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	534/2	0.1592
860	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	535	0.0210
861	शिव सिंह यादव पुत्र दामोदर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	536/1/1	
862	आनेल छारी पुत्र गयादीनछारी	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	536/1/2	0.4470
863	गौता, पनी अजुन सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	536/2	
864	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	616	0.0450
865	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	618/1	
866	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	618/2	0.1483
867	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	618/3	
868	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	618/4	
869	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	619	0.0210
870	श्रामती सीमादवा यादव पनी रामेश्वर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	620	0.0130
871	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	621	0.0879
872	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	622	0.0397
873	वारदानसिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	640	0.0820
874	हरीसिंह पुत्र लोकन्द्र सिंह/अमरसिंह पुत्र महाराज सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	641/1	
875	वकतावरासिंह पुत्र करनल सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	641/2	0.0403
876	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	642	0.0061
877	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	643	0.0730
878	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	644	0.0310
879	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	645	0.8333
880	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	646	0.0520
881	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	650	0.0488
882	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	651/1	
883	हरचरण सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	651/2	0.5009
884	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	654/1/1	
885	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	654/1/2	0.6089
886	सुरन्द्रसिंह राठोर पुत्र रामासेह राठोर	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	654/2	
887	प्रकाश, माहनसिंह पुत्र दयाराम	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	655	0.0310
888	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	656	0.0520
889	कदम सिंह, रघुवीर पुत्र कल्लू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	657	0.5230
890	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	658	0.0520
891	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	659	0.5020
892	मनदीपासह पुत्र हरवश सिंह संधू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	660/1	0.5120
893	गुरुप्रीतसिंह संधू पुत्र हरवश सिंह संधू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	660/2/1	0.4180
894	गुरुप्रीतसिंह संधू पुत्र हरवश सिंह संधू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	660/2/2	0.4180
895	मनदीपासह पुत्र हरवश सिंह संधू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	660/3	0.5020
896	हरीसेह पुत्र लोकन्द्र सिंह/अमरसिंह पुत्र महाराज सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	661	0.4289
897	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	665	0.1234
898	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	668	0.5068
899	राजकुमारसिंह यादव पुत्र अमरसिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	669/1	
900	प्रमादयादव, योगन्द्र सिंह यादव पुत्र भवर सिंह यादव	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	669/2	1.1724
901	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	670	0.0100
902	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	671	0.1354
903	गुरुप्रीतसिंह संधू पुत्र हरवश सिंह संधू	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	672	0.1360
904	सुकेशकुमर प्रजापाते पुत्र रामदीन प्रजापाते	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	673	0.0210
905	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	674	0.1360
906	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	675	0.0210
907	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	676	0.0210
908	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	677	0.0210
909	शांतिबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	678	0.0420
910	ओमासिंह, दामोदर पुत्र नारायण सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	679/1	0.0420
911	सुधरासेह, सुंदरासेह पुत्र खुवीसेह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	679/2	0.0420
912	सहाबसेह, ओमप्रकाशसेह पुत्र छत्रपालसेह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	680/1	0.3450
913	सुधरासेह, सुंदरासेह पुत्र खुवीसेह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	680/2	0.1990
914	रघेन्द्र, राजद्र पुत्र रामगापाल	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	680/3	0.1990
915	कशकोले, रघवेन्द्र पुत्र प्रतापसेह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	680/4	0.1990
916	शासकीय	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	681	0.0100
917	रावेन्द्रसेह यादव पुत्र हुक्म सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	682	1.2540
918	रावेन्द्रसेह यादव पुत्र हुक्म सिंह	गिर्द ग्वालियर	गंगापुर	683	0.0310

919	बेतालसेह, सुरेश पुत्र भगवन सिंह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	684/1	0.1990
920	बहादुर बल्ला पुत्र उत्तम सिंह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	684/2	0.1980
921	रवेद्वर्सेह यादव पुत्र हुकुम सिंह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	685	0.0420
922	हजारीलाल पुत्र हरप्रसाद	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	686/1	0.1050
923	श्यामलाल पुत्र मवासी	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	686/2	0.1050
924	कमलसेह, नारायण सेह पुत्र केशन लाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	686/3	0.1050
925	गोविन्द सिंह, भूरा पुत्र जीवन लाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	686/4	0.1150
926	शांतेबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	687/1/1	0.3550
927	पंचम सेह, जसवतसेह पुत्र हुकुम सिंह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	687/1/2	0.8470
928	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	687/2	1.2020
929	उदलासेह पुत्र अजुनसेह/तुलसी राम पुत्र कालीचरण	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	688	0.5230
930	उदलासेह पुत्र अजुनसेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	689	0.0210
931	उदलासेह पुत्र अजुनसेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	690	0.2300
932	रवेद्वर्सेह यादव पुत्र हुकुम सिंह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	691	0.1150
933	गोराबाई, महेंद्रसेह पुत्र लक्ष्मणसेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	692	0.1460
934	फूल सेह पुत्र बिशन सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	693/1	0.3240
935	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	693/2	0.3240
936	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	694	0.0100
937	बाबू लाल पुत्र पन्नालाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	695/1	0.4800
938	संजोवयादव पुत्र ओमप्रकाश यादव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	695/2	0.4190
939	संजोवयादव पुत्र ओमप्रकाश यादव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	696	0.0100
940	मातादीन वलराम पुत्र भागीरथ	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	697	1.0870
941	कदम सेह, रघुवीर पुत्र कल्लू	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	698	0.2930
942	शांतेबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	699	0.0210
943	रामदुलारजटव पुत्र भागीरथ जाटव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/1	0.0751
944	गजेन्द्रसेह यादव पुत्र लाखनासेह यादव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/2	0.0960
945	मनोषअग्रवाल पुत्र मुरली अग्रवाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/4	0.0575
946	मनोषअग्रवाल पुत्र मुरली अग्रवाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/5	0.0400
947	पावती पब्ली लाखन सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/6	0.1070
948	गजेन्द्रसेह यादव पुत्र लाखनासेह यादव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	700/7	0.2090
949	शांतेबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	701/1	0.0520
950	मातादीन, वलराम पुत्र भागीरथ	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	701/2	0.1570
951	शांतेबाई, वीरासेह पुत्र हाकिम सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	702	0.2820
952	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	703	0.0940
953	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	704	0.6580
954	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	705	0.0100
955	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	706	0.2510
956	वर्षसाहू पब्ली नोरज साहू	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	708/3/1	0.0723
957	शिवमराजपूत पुत्र नोरज सेह राजपूत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	708/3/2	
958	रामकृमारसगर पुत्र केहरी सेह संगर	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	708/3/3	
959	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	715	0.0839
960	रामप्रसाद पुत्र प्यारलाल	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	719	0.1990
961	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	720	0.0445
962	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	721	0.1360
963	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	722	0.0310
964	सुधरोसेह पुत्र बद्री सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	723	0.2090
965	महेंद्रसेह यादव पुत्र सीताराम यादव	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	724	0.0420
966	मिथला, राजेन्द्रसेह पुत्र अहवरन सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	725/1	0.2300
967	बेतालसेह, सुरेश पुत्र भगवन सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	725/2	0.2400
968	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	726	0.0310
969	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	727	0.0100
970	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	728	0.0840
971	रमेश पुत्र धाराजीत	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	729	0.0210
972	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	730	0.1050
973	सूरज रिण पुत्र बिध्यासेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	731/1	0.0040
974	रामवटी पुत्र गलदवे रिण कलारपा	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	731/2	0.0940
975	सुदरोसेह, विक्रमसेह पुत्र खुबी सेह	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	732	0.0940
976	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	733	0.0940
977	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	734	0.0310
978	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	735	0.0940
979	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	736	0.0520
980	शासकीय	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	737	0.1780
981	हुकुमसेह पुत्र रामस्वरूप	गिरद ग्वालियर	गंगापुर	738	0.0310

982	हुकुमासह पुत्र रामस्वरूप	गंगापुर	739	0.0310
983	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	740	0.2300
984	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	741	0.2090
985	शासकीय	गंगापुर	742	0.1250
986	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	743	0.1880
987	शासकीय	गंगापुर	744	0.0840
988	सूरज सिंह पुत्र बिशनासह	गंगापुर	745/1/1	0.1440
989	सूरज सिंह पुत्र बिशनासह	गंगापुर	745/1/2	0.0750
990	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	745/2	0.2190
991	सूरज सिंह पुत्र बिशनासह	गंगापुर	746/1	0.1670
992	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	746/2	0.1780
993	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	747/1	0.0310
994	सूरज सिंह पुत्र बिशनासह	गंगापुर	747/2	0.0420
995	शातिबाई, वारोसह पुत्र हाकिम सिंह	गंगापुर	748	0.4180
996	आशा अग्रवाल, लवाराज अग्रवाल पुत्र हारेओम अग्रवाल	गंगापुर	749	0.4700
997	शासकीय	गंगापुर	750	0.8050
998	शासकीय	गंगापुर	751	0.4390
999	शासकीय	गंगापुर	752	0.0100
1000	महेंद्रसह, सवाराम पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	753	0.1990
1001	सुदरासह, विक्रमासह पुत्र खूबी सिंह	गंगापुर	754	0.3140
1002	शासकीय	गंगापुर	755	0.0609
1003	विनाद सिंह पुत्र बद्री सिंह	गंगापुर	756/1	0.4180
1004	अशोकसह पुत्र बद्री सिंह	गंगापुर	756/2/1	0.3467
1005	सुदर सिंह पुत्र बद्री सिंह	गंगापुर	756/2/2	0.7110
1006	विनाद सिंह पुत्र बद्री सिंह	गंगापुर	756/2/3	0.2410
1007	बतालासह, सुरश पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	757	0.4700
1008	बहादुर, बल्ली पुत्र उत्तम सिंह	गंगापुर	758/1	0.2190
1009	खरुप यादव, रामबली यादव पुत्र प्रकाश	गंगापुर	758/2	0.2200
1010	शासकीय	गंगापुर	759	0.1150
1011	आमासह, दामादर पुत्र नारायण	गंगापुर	760/1	0.1670
1012	अजुन सिंह, कशकाले पुत्र परमार सिंह	गंगापुर	760/2	0.1670
1013	सुरश, सरनामसह पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	761	0.0100
1014	सुरश, सरनामसह पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	762/1	0.2444
1015	राजद्र सिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरन सिंह	गंगापुर	762/2	
1016	राजद्र सिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरन सिंह	गंगापुर	763	0.0198
1017	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	764	0.1485
1018	मनज, पक्ज पुत्र दामादर प्रसाद	गंगापुर	765	0.1990
1019	शासकीय	गंगापुर	766/1	0.0420
1020	बाबूलाल, पुत्र रामचरण	गंगापुर	766/2	0.0210
1021	महेंद्र सिंह, सवाराम पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	767	0.2930
1022	महेंद्र सिंह, सवाराम पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	768	0.0420
1023	बताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	769/1	0.1560
1024	जान सिंह पुत्र बालाकेशन	गंगापुर	769/2	0.1050
1025	महेंद्र सिंह, सवाराम पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	770	0.1050
1026	महेंद्र सिंह, सवाराम पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	771	0.2720
1027	हिरा बाई, प्रेमा बाई पिता रामस्वरूप	गंगापुर	772	0.0630
1028	सुदर सिंह, विक्रम सिंह पुत्र खूबी सिंह	गंगापुर	773	0.2820
1029	शासकीय	गंगापुर	774	0.0210
1030	सूरज सिंह पुत्र बिशनासह	गंगापुर	775/1	0.1320
1031	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गंगापुर	775/2	0.1330
1032	बादाम पुत्र जगरनाथ सिंह	गंगापुर	775/3	0.1320
1033	शासकीय	गंगापुर	776	0.1880
1034	बताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	777/1	0.1150
1035	बहादुर सिंह, बल्ली पुत्र उत्तम सिंह	गंगापुर	777/2	0.0630
1036	रामबली यादव, सरूपी यादव पुत्र प्रकाश	गंगापुर	777/3	0.0630
1037	रमश पुत्र धाराजीत	गंगापुर	778/1	0.2930
1038	बाबूलाल पुत्र रामचरण	गंगापुर	778/2	0.1050
1039	शासकीय	गंगापुर	779	0.1360
1040	शासकीय	गंगापुर	780	0.1670
1041	जानारीह पुत्र बालाकेशन	गंगापुर	781/1	0.1080
1042	बताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गंगापुर	781/2	0.1880
1043	सरदार सिंह, हुकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गंगापुर	782	0.4490
1044	सरदार सिंह, हुकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गंगापुर	783/1	0.5540

1045	अजुन सिंह, केशकाले पुत्र परमार सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	783/2/1	0.4180
1046	विनाद सिंह पुत्र ब्रदीं सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	783/2/2	0.2410
1047	रवेन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गंगें खालियर	गंगापुर	784	0.1880
1048	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	785	0.0210
1049	अजुन सिंह, केशकाले पुत्र परमार सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	786	0.2510
1050	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	787	0.0210
1051	आमेसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गंगें खालियर	गंगापुर	788/1	0.0100
1052	रवेन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गंगें खालियर	गंगापुर	788/2	0.0100
1053	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	789	0.1150
1054	आमेसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गंगें खालियर	गंगापुर	790	0.0210
1055	आमेसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गंगें खालियर	गंगापुर	791	0.2190
1056	आमेसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गंगें खालियर	गंगापुर	792/1	0.0100
1057	रवेन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गंगें खालियर	गंगापुर	792/2	0.0100
1058	रवेन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गंगें खालियर	गंगापुर	793	0.2910
1059	रवेन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गंगें खालियर	गंगापुर	794	0.0940
1060	हुकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गंगें खालियर	गंगापुर	795	0.1880
1061	वीर सिंह, मचल सिंह पुत्र हाकिम सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	796	0.1360
1062	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गंगें खालियर	गंगापुर	797	0.3240
1063	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	798	0.0310
1064	सुधरासिंह, सुदरासिंह पुत्र खुवांसिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	799/1	0.2610
1065	अजुन सिंह, केशकाले पुत्र परमार सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	799/2	0.1050
1066	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	800	0.0520
1067	बेताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	801/1	0.1250
1068	राजद्रासिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरनसिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	801/2	0.1260
1069	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	802	0.0210
1070	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	803	0.0310
1071	निरजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	804	0.4390
1072	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	805	0.0310
1073	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	806	0.0630
1074	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गंगें खालियर	गंगापुर	807	0.0310
1075	हिरा बाई, प्रेमा बाई पिता रामस्वरूप	गंगें खालियर	गंगापुर	808	0.0840
1076	सूज सिंह पुत्र बिशनसिंह	गंगें खालियर	गंगापुर	809/1	0.0730
1077	रमेश पुत्र धाराजीत	गंगें खालियर	गंगापुर	809/2	0.0730
1078	हरचरणसिंह पुत्र जग्नानाथ	गंगें खालियर	गंगापुर	810	0.0520
1079	रमेश पुत्र धाराजीत	गंगें खालियर	गंगापुर	811	0.0520
1080	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	812	0.4036
1081	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गंगें खालियर	गंगापुर	813	0.1360
1082	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	814/1	0.3493
1083	बाबूलाल पुत्र रामचरण	गंगें खालियर	गंगापुर	814/2	
1084	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	815	0.2911
1085	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	816	0.0210
1086	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	817	0.0140
1087	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	818	0.6157
1088	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	819	0.5565
1089	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	820	1.0339
1090	शासकीय	गंगें खालियर	गंगापुर	821	0.3268
1091	आकाश शिवहरे पुत्र रामस्वरूप शिवहरे	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	50	0.1134
1092	शासकीय	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	51	0.0241
1093	शासकीय	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	52	0.0206
1094	सुरेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र चिराजी लाल धाकड़	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/1	
1095	उपन्द्र सिंह परमार पुत्र सुरेश सिंह	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/2	
1096	जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र पूरण चन्द्र अग्रवाल	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/3	
1097	प्रभा जेन पत्नी सुरेन्द्र जेन	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/4	
1098	शशि सिंह पत्नी रामवर खिंह तोमर	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/5	
1099	गिरोशचन्द्र, चतुभूज पुत्र हरीराम अग्रवाल	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/6	
1100	प्रकाश आरायण अग्रवाल	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/7	
1101	मीरा गोयल पत्नी डा. आर. बी. गोयल	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/8	
1102	शशि सिंह पत्नी रामवर खिंह तोमर	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/9	
1103	विजयचाड़क पुत्र जयनारायण चाड़क	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/1/10	
1104	रामस्वरूप शिवहरे पुत्र हरणार्वद सिंह	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/2/1/1	
1105	ओमप्रकाश, चुन्नी पत्नी बैजंती	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/2/2/2	
1106	श्रीमति सोमा जादोन पत्नी नवाबसिंह जादोन	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/3	
1107	रामजीलाल पुत्र रवींद्रप्रसाद	गंगें खालियर	पुरानी छावनी	54/4/1	

1108	शंकर लाल पाहुजा पुत्र के,आर.पाहुजा	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/2	
1109	भूलाकसुदरमाहतो पुत्र कल्लूचरनमाहतो	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/3	
1110	रशीदाखान पत्तो नाशारखान	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/4/1	
1111	रामस्वरूप शिवहर पुत्र हरगांवद सिंह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/4/2	
1112	कल्पना शिवहर पत्तो रामस्वरूप शिवहर	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/5	
1113	अनेल राठार पुत्र पूरण राठार	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/1/1	
1114	अनेल राठार पुत्र पूरण राठार	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/1/2	
1115	कल्पना शिवहर	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/2	
1116	डॉ. आशुतोस द्विवेदी पुत्र शचिन्द्र द्विवेदी	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/6	
1117	शासकांय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/7	
1118	सुखराज सिंह पुत्र बलभद्र सिंह चोहान	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/1	
1119	श्रीमती सोमा पत्तो योगेश सिंघल	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/2	
1120	अनेल सिंघल पुत्र बद्री प्रसाद सिंघल	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/3	
1121	श्रीमती सोमा जादोन पत्तो सुरेन्द्रसिंह जादोन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/2/1	
1122	श्रीमती सोमा जादोन पत्तो सुरेन्द्रसिंह जादोन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/2/2	
1123	सुरेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र चिराजी लाल धाकड़	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/1	
1124	गुड्डो पत्तो मुस्ती	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/2	
1125	महश कुमार बत्ता पुत्र राम दित्ता मल बत्ता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/3	
1126	सुनीता जन पत्तो महेंद्र जेन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/4	
1127	महेंद्र कुमार पुत्र नेमीवद्र जेन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/5	
1128	सुनीता जन पत्तो महेंद्र जेन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/6	
1129	सुनीता जेन पत्तो महेंद्र जेन	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/7	
1130	सोनम तोमर पत्तो शेलन्द्र सिंह तोमर	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/1	
1131	नन्दाकेशर पुत्र सोता राम राय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/1	
1132	अरोवेद पुत्र नारायण	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/1/2	
1133	श्रीमती कुशमराय पत्तो महाराज सिंह राय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/2	
1134	रामनाथ जिंदल ,रामनेवास जिंदल पुत्र भगवान सिंह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/3	
1135	शफांकन बंगम पत्तो मुराद	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/4	
1136	अष्णाना पत्तो इस्लाम खान	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/5	
1137	एम. क. तिवारी पुत्र बा. पा. तिवारी	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/6	
1138	केलाश नारायण पुत्र माता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/7	
1139	रजनी यादव पत्तो धर्मन्द्र सिंह यादव	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/8	
1140	मुरस्लेम खान पुत्र मुराद खान	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/9	
1141	मनाज यादव पुत्र रमेश यादव	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/10	
1142	सुरेन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/11	
1143	राजद्र सिंह पुत्र गंदालाल कमारेया	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/12	
1144	हातेअम जिंदल पुत्र कालीचरण जिंदल	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/13	
1145	महात्मा गांधी सवा आश्रम जोरा	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/14	
1146	बनवारा लाल पुत्र बलराम	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/1	
1147	पिथिलश सिंह पत्तो आर. पो. सिंह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/2	
1148	सताश गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/3	
1149	कलाश नारायण पुत्र सत्यराम	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/1/1	
1150	अनेता डगले पत्तो विनोद कुमार डगले	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/1/2	
1151	विजय चाडक पुत्र जय नारायण चाडक	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/2	
1152	वीणा राठार पत्तो अजय सिंह राठार	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/3	
1153	गहाँद दाल एंड आयल मिल लिमिटेड	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/4	
1154	अनेल कुमार गुप्ता पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/5	
1155	अनेता डगले पत्तो विनोद कुमार डगले	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/6	
1156	सगीताजोदोन पत्तो रामवीर सिंह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/1	
1157	रामशंकर पुत्र बाकेलाल	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/2	
1158	गोपालदास अग्रवाल पुत्र भगवानदास	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/3	
1159	पवन,चन्दन पुत्र मदनलाल कालरा	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/3	
1160	योगेशकालरा पुत्र मदनलाल कालरा	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/4	
1161	देनेशअग्रवाल पुत्र बैजनाथ	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/5	
1162	अजय सिंह पुत्र कपाल सिंह कुशवाह	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/6	
1163	महेंद्र गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/मिन-1	
1164	अनेलमालेक पुत्र धनश्याम दास मालेक	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/मिन-2	
1165	शासकांय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	63	0.0397
1166	शासकांय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	69	0.0615
1167	शासकांय	गंदे ग्वालियर	पुरानी लाता-ी	70	0.0517
1168	शासकांय	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	71	0.0759
1169	कांपेल,अखेलश,संजय पुत्र स्व.राजनारायण	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	89	0.5014
1170	अलकागुप्ता,उत्साहगुप्ता पुत्र हर्षगुप्ता	गंदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	90	0.0840

1171	कापिल, अखेलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	91	0.0210
1172	अलकामुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हषगुप्ता	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	94	0.0094
1173	कापिल, अखेलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	103	0.4063
1174	शासकीय	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	106	0.0548
1175	कापिल, अखेलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	107	0.0799
1176	कापिल, अखेलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	113	0.5546
1177	कापिल, अखेलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	114	0.0054
1178	अलकामुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हषगुप्ता	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	116	0.1213
1179	अलकामुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हषगुप्ता	गोदे खालियर	पुरानी छावनी	117	0.0142
1180	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गोदे खालियर	खरियाभान	1	0.8709
1181	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गोदे खालियर	खरियाभान	2	0.1682
1182	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गोदे खालियर	खरियाभान	13	0.7844
1183	सरजीत सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गोदे खालियर	खरियाभान	85/1	0.7223
1184	सरजीत सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गोदे खालियर	खरियाभान	85/2	
1185	लालित अटल पुत्र बारलाल अटल	गोदे खालियर	खरियाभान	95/1	0.0552
1186	शासकीय	गोदे खालियर	खरियाभान	95/2	
1187	लालित अटल पुत्र बारलाल अटल	गोदे खालियर	खरियाभान	95/3	
1188	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1502/1	0.0310
1189	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1502/2	
1190	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1504/1	
1191	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1504/2	0.2657
1192	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1506	
1193	तारबाई पत्नी जसवत सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1507	
1194	अंजु, पत्नी सजोव गुप्ता	गोदे खालियर	रायरू	1510	0.1686
1195	सजोव पुत्र हरवच्चलाल	गोदे खालियर	रायरू	1511	0.0687
1196	पूनमसाविता पत्नी दर्शनलाल	गोदे खालियर	रायरू	1512	0.0839
1197	सजोव पुत्र हरवच्चलाल	गोदे खालियर	रायरू	1513	0.3007
1198	सजोव पुत्र हरवच्चलाल	गोदे खालियर	रायरू	1514	0.0171
1199	हरभजन सिंह पुत्र चैनासिंह	गोदे खालियर	रायरू	1520	0.0130
1200	दलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह	गोदे खालियर	रायरू	1521/1/1	0.1417
1201	हरभजन सिंह पुत्र चैनासिंह	गोदे खालियर	रायरू	1521/1/2	
1202	जसवन्दर सिंह पुत्र चैनासिंह	गोदे खालियर	रायरू	1521/2	
1203	आजयवासिंह पुत्र चैनासिंह	गोदे खालियर	रायरू	1523/1	0.0670
1204	जसवन्दर सिंह पुत्र चैनासिंह	गोदे खालियर	रायरू	1523/2	
1205	शासकीय	गोदे खालियर	रायरू	1558	0.0406
<b>TOTAL</b>				<b>279.4307</b>	

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किये गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा।

(G-765)

प्रदीप कुमार शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ज्योति अटोलिया था, अब विवाह उपरान्त मेरा नाम ज्योति धाकड़ हो गया है। मेरा विवाह हो जाने के कारण मुझे अब वर्तमान में ज्योति धाकड़ पति पुष्टक धाकड़ के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(ज्योति अटोलिया)

नया नाम  
(ज्योति धाकड़)

(G-766)

## नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक जैन पिता श्री देवेन्द्र जैन पता—19—20, स्वर्णवाटिका कालोनी, इन्दौर (म.प्र) एतद् सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि, अभी तक मेरा नाम अभिषेक कुमार पिता श्री देवेन्द्र जैन के नाम से जाना रहा है। अब से मुझे अभिषेक कुमार के स्थान पर अभिषेक जैन के नाम से जाना जाये, पहचाना जाये, मैं, अपना नाम आज दिनांक से अभिषेक जैन ही लिखूँगा और अपने हस्ताक्षर भी अभिषेक जैन के नाम से करूँगा। अतः इस जाहिर सूचना से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे अभिषेक जैन पिता श्री देवेन्द्र जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम  
(अभिषेक कुमार)  
पिता—श्री देवेन्द्र कुमार जैन

नया नाम  
(अभिषेक जैन)  
पिता—श्री देवेन्द्र जैन।

(G-767)

### उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी पता—272, जवाहरनगर, राजेन्द्रनगर के पास, इन्दौर (म.प्र) एतद सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि, शादी के पूर्व मेरा नाम स्नेहलता पुरंदरे था, शादी के बाद से श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, मैं, अपना नाम आज दिनांक से श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी ही लिखूँगी और अपने हस्ताक्षर भी श्रीमती अंजली जोशी के नाम से करूँगी, स्नेहलता पुरंदरे व अंजली जोशी दोनों मेरे स्वयं के हैं, जिनसे मैं, जानी—पहचानी जाती हूँ, अतः इस जाहिर सूचना से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम  
(स्नेहलता)  
पिता—श्री भास्करराव पुरंदरे  
(G-768)

नया नाम  
(अंजली जोशी)  
पति—स्व. अनिल जोशी.

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, विनीता श्रीवास्तव पुत्री श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जाति कायस्थ, निवासी—वार्ड क्रमांक 16, अंजनी नगर, आदर्श कॉलोनी, आष्टा सूचित करती हूँ कि मेरा पुत्र अरिहंत जैन आत्मज श्री धर्मचंद जैन है. मेरा पूर्व पति से विवाह विच्छेद हो गया है. इस कारण मैं, अपने पुत्र अरिहंत जैन का नाम बदलकर अब कोणस्थ श्रीवास्तव समस्त दस्तावेजों में करवाना चाहती हूँ, आज दिनांक 15—03—2023 के बाद उक्त अरिहंत जैन का नाम समस्त दस्तावेज में कोणस्थ श्रीवास्तव दर्ज किया जावे व पढ़ा जावे.

(G-769)

भवदीय,  
(विनीता श्रीवास्तव)  
वार्ड क्रमांक 16, अंजनी नगर,  
आदर्श कॉलोनी, आष्टा.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा परिवार व मेरे बच्चों के दस्तावेज़ों में जैसे शैक्षणिक अंकसूचियाँ, प्रमाण-पत्र, शासकीय अभिलेखों, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज़ों में मेरा नाम मुनिन्द्र वैद्य (MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA) अंकित किया गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) पिता स्व० श्री इन्द्रनारायण वैद्य S/o. LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA), निवासी 107-ए, नैनीगिरी, जे. के. रोड, गोविन्दपुरा, भोपाल (म0प्र0) है। अब मुझे भविष्य में मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) के नाम से जाना जावे और मेरे बच्चों की दस्तावेज़ों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(मुनिन्द्र वैद्य)  
(MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA)  
पिता—स्व. श्री इन्द्रनारायण वैद्य  
S/o LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA  
(G-770)

नया नाम  
(मुनिन्द्र कुमार वैद्य)  
(MUNINDRA KUMAR VAIDYA)  
पिता—स्व. श्री इन्द्रनारायण वैद्य  
S/o LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज़ जैसे अंकसूचियाँ, प्रमाण-पत्र, शासकीय अभिलेखों, शासकीय अभिलेखों, आधार कार्ड एवं पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेज़ों में मेरा नाम गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र वैद्य (MUNINDRA VAIDYA / MUNEENDRA VAIDYA) अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA), निवासी 107-ए, नैनीगिरी, जे. के. रोड, गोविन्दपुरा, भोपाल (म0प्र0) है। अब मुझे भविष्य में गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम  
(गार्गी वैद्य)  
(GARGI VAIDYA)  
पुत्री—मुनिन्द्र वैद्य<sup>1</sup>  
(MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA)

(G-771)

नया नाम  
(गार्गी वैद्य)  
(GARGI VAIDYA)  
पुत्री—मुनिन्द्र कुमार वैद्य<sup>2</sup>  
(MUNINDRA KUMAR VAIDYA)

## CHANGE OF SURNAME

I Neha Singh Parihar here by declare that after marriage my surname is changed from Neha Singh Parihar to Neha Singh Sikarwar W/O Shri Nitesh Singh Sikarwar so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name <b>(NEHA SINGH PARIHAR)</b>	New Name <b>(NEHA SINGH SIKARWAR)</b> W/o Nitesh Singh Sikarwar, E-2/229, Arera Colony, Bhopal.
---	--

(G-772)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, असलम खान (**Aslam Khan**), पता—मकान क्रमांक—137, नवीन नगर, मेन रोड़ ऐशबाग, बॉम्बे बेकरी के सामने, तहसील—हुजूर, जिला—भोपाल 462023 (म.प्र.), मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद असलम खान अंकित है एवं मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम असलम खान (**Aslam Khan**) हैं, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ।

**पुराना नाम**  
(मोहम्मद असलम खान)  
**(Mohd Aslam Khan)**

**नया नाम**  
(असलम खान)  
**(Aslam Khan)**

पता—मकान क्रमांक—137, नवीन नगर,  
मेन रोड़ ऐशबाग, बॉम्बे बेकरी के सामने,  
तहसील—हुजूर, जिला—भोपाल 462023 (म.प्र.)

(G-773)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों (शैक्षणिक अंकसूचीयों, पहचान पत्रों, राजस्व रिकार्ड एवं शासकीय सेवा से संबंधित अभिलेख एवं अन्य) में नाम साक्षी भावसार (SAKSHI BHAWSAR) पुत्री श्री विनोद भावसार (VINOD BHAWSAR) अंकित है। मेरा विवाह श्री प्रिन्स सोनी से हो जाने के फलस्वरूप भविष्य में मैं, साक्षी सोनी पत्नी श्री प्रिन्स सोनी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

अतः मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित नाम साक्षी भावसार पुत्री श्री विनोद भावसार के स्थान पर साक्षी सोनी (SAKSHI SONI) पत्नी श्री प्रिन्स सोनी पढ़ा एवं समझा जावे। उक्त दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही महिला के हैं।

**पुराना नाम**  
(साक्षी भावसार)  
पुत्री—श्री विनोद भावसार

**नया नाम**  
(साक्षी सोनी)  
पत्नी—श्री प्रिन्स सोनी.

(G-774)

### नाम परिवर्तन

मैं सविता मुकाती पत्नी श्री दिलीप मुकाती निवासी 74, हरिबड़, वार्ड नं 8, तहसील अंजड़, बड़वानी, (म.प्र.) एतद्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम सविता मुकाती है। ऐतद्वारा मुझे सविता सिंह चौहान नाम से जाना जाए। इसलिए सरकारी, अर्ध सरकारी, शेयर प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट दस्तावेजों आदि में सभी उद्देश्यों के लिए सविता मुकाती के स्थान पर सविता सिंह चौहान नाम का उपयोग किया जाएगा।

पुराना नाम  
(सविता मुकाती)

G-775)

नया नाम  
(सविता सिंह चौहान)

### नाम परिवर्तन

मैं दिलीप मुकाती पुत्र श्री भगवान जी मुकाती निवासी 74, हरिबड़, वार्ड नं 8, तहसील अंजड़, बड़वानी, (म.प्र.) एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम दिलीप मुकाती है। ऐतद्वारा मुझे दिलीप सिंह चौहान नाम से जाना जाए। इसलिए सरकारी, अर्ध सरकारी, शेयर प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट दस्तावेजों आदि में सभी उद्देश्यों के लिए दिलीप मुकाती के स्थान पर दिलीप सिंह चौहान नाम का उपयोग किया जाएगा।

पुराना नाम  
(दिलीप मुकाती)

G-776)

नया नाम  
(दिलीप सिंह चौहान)

### CHANGE OF NAME

Hereby declare that, my correct name is Praveena Bhargav, But in my Daughter Dhruvi Bhargav's Marksheets my name is written Meet Bhargav which is my nick name. Henceforth in all of my Daughter's Marksheets my name will be written Praveena Bhargav for all purposes.

Old Name

(MEETA BHARGAV)

New Name

(PRAVEENA BHARGAV)

Mali Mohalla, Post Office Chouraha,  
Hanuman Mandir Gali, Khargone (M.P.).

(G-777)

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा सही नाम Hariom singh Rajpoot S/o. Anurudh Singh Rajpoot and Sangeeta Rajpoot है, किन्तु मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में हमारे नाम Hariom singh Rajput S/o. Anurudh Singh and Sangeeta एवं कक्षा 12वीं की मार्कशीट में हमारे नाम Hari om singh Rajput S/o. Anurudh Rajpoot and Sangeeta Rajput लिखे हुए हैं, जो कि गलत नाम हैं, गलत नाम होने के कारण में अपनी कक्षा 10वीं व 12वीं की मार्कशीट में अपने सही नाम लिखवाना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे हमारे सही नाम से ही लिखा व पढ़ा जाए।

पुराना नाम  
**(HARIOM SINGH RAJPUT)**

(G-778)

नया नाम  
**(HARIOM SINGH RAJPOOT)**  
S/o Anurudh Singh Rajpoot  
and Sangeeta Rajpoot.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि असगर अली आत्मज स्व. अख्तर अली, आयु वयस्क, निवासी—जी—49, जेल रोड, वेटनरी कालोनी, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) का पुत्र इब्राहिम अली है, जो कि सेन्ट मोन्टफोर्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल में कक्षा—9—सी में अध्ययनरत है, जिसका पूर्व का नाम आरयान अली था। यही नाम उसके शैक्षणिक रिकार्ड एवं आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में भी अंकित है, जिसका नाम परिवर्तित कर इब्राहिम अली रख दिया है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा। एवं यही नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण—पत्र आदि में भी दर्ज करा लिया जावेगा।

पुराना नाम  
**(आरयान अली)**

(G-779)

नया नाम  
**(इब्राहिम अली)**

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म मेसर्स आर. आर. जैन इंफ्रा, पुराना पता—10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 03—27—01—0095—20, सन् 2020—21, दिनांक 22 सितम्बर 2020 से फर्म के रजिस्ट्रार इंदौर, संभाग इंदौर, में पंजीकृत है। फर्म का पता—10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) से परिवर्तित होकर 54, सेक्टर ए, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) हो गया है।

किसी को भी इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो, तो 7 दिनों में सूचित करें।

मेसर्स—आर. आर. जैन इंफ्रा,  
**(रविश जैन)**  
भागीदार।

(G-780)

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Tarak Associates Registered office at Village Mangrola, Chintaman Road, Ujjain M.P. and Registration No is 07/33/01/0100/22 dated 26/09/2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 29/03/2022. In this Partnership firm subsequently, following changes has been made on 31/01/2023, Shri Sanjay Bapna has joined the firm as a new partner.

In this Partnership firm another subsequent change has been made on 01/02/2023 Shri Yashpal Singh has voluntarily retired from the Partnership firm.

Now 1. Shri Abhishek Patel and 2. Shri Sanjay Bapna are the running Partners of the firm.

MS. Tarak Associates,

**1. ABHISHEK PATEL,  
2. SANJAY BAPNA,**

Partners.

(G-781)

### नाम परिवर्तन

मैं तिलक सिंह यादव (TILAK SINGH YADAV) पुत्र बादाम सिंह यादव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम श्री दिनेश यादव ( SHRI DINESH YADAV ) है जो मेरी माँ स्व. शीला देवी यादव (LATE SHEELA DEVI YADAV) पत्नी बादाम सिंह यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203770768 के नोमिनेशन में लिखा गया है अतः मेरे बैंक पास बुक में मेरा नाम तिलक यादव लिखा गया है जबकि वर्तमान में, मैं तिलक सिंह यादव पुत्र बादाम सिंह यादव के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड में भी लिखा हुआ है। और भविष्य में भी मैं इसी नाम तिलक सिंह यादव पुत्र बादाम सिंह यादव के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा। तिलक सिंह यादव तथा श्री दिनेश यादव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी माँ स्व. शीला देवी यादव पत्नी बादाम सिंह यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203770768 के नोमिनेशन मे मेरा नाम श्री दिनेश यादव के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम तिलक सिंह यादव लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(दिनेश यादव)

नया नाम  
(तिलक यादव)  
पुत्र बादाम सिंह यादव,  
कम्यूनिटी हॉल के पास, विजय नगर,  
आमखो, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

G-782)

### नाम परिवर्तन

मैं, चाहत गर्ग (CHAHAT GARG) पुत्री सौरभ गर्ग, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम चेरी गर्ग (CHERRY GARG) है. जो मेरे UTI के A/C No.-511177755586 में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, चाहत गर्ग पुत्री सौरभ गर्ग के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आदि में लिखा हुआ है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम चाहत गर्ग के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. चेरी गर्ग एवं चाहत गर्ग दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे UTI के A/C No.-511177755586 में मेरा नाम चेरी गर्ग के स्थान पर चाहत गर्ग लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(चेरी गर्ग)

(G-783)

नया नाम

(चाहत गर्ग)

पुत्री सौरभ गर्ग,  
पता—के. एस. कॉम्प्लेक्स,  
जीवाजी गंज, मुरैना (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भूरी बाई पत्नी स्व. श्री संतोष प्रजापति, मेरा निवास म. नं. 808-809, कुम्हार मोहल्ला, पंचशील नगर, भोपाल है. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश बबीता प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा सही नाम अंकित है. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भूरी बाई के नाम से जाना—पहचाना व समझा जाये तथा मेरे दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम भूरी बाई अंकित किया जाये, जो सर्वविदित हो.

पुराना नाम

(बबीता प्रजापति)

(G-784)

नया नाम

(भूरी बाई)

### CHANGE OF NAME

I, Sonu Saluja hereby declare that, in some of my documents my name is written Shashi Saluja and in some of other documents my name is written Sonu Saluja. So from now and in future always in all of my and my husband and my children's all Government and non-governmental documents my only one name sonu saluja will be written and read for all purposes.

OLD NAME

(SHASHI SALUJA)

(G-785)

NEW NAME

(SONU SALUJA)

Ashok Nagar (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा राजस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajas Johari S/o Satish Johari) था जो मैं, आज से पूर्व उपयोग करता था जो मेरे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि दस्तावेजों पर दर्ज है पर अब मैंने अपना नाम बदलकर राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) रख लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम राजस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajas Johari S/o Satish Johari) एवं राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम

(राजस जोहरी)

पिता—सतीश जोहरी

(G-786)

नया नाम

(राजेस जोहरी)

पिता—सतीश जोहरी

निवासी—6 वसंत विहार कॉलोनी, लोकमान्य नगर के पास, इन्दौर.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में भगवती बाई राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Bai Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) तथा कुछ में भगवती देवी राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Devi Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) था. जबकि मेरा वास्तविक नाम भगवती राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) है तथा उपरोक्त सभी नाम भगवती बाई राजोरिया, भगवती देवी राजोरिया एवं भगवती राजोरिया एक ही महिला अर्थात् मेरे ही नाम हैं।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम भगवती राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो।

पुराना नाम

(भगवती बाई / देवी राजोरिया)

नया नाम

(भगवती राजोरिया)

निवासी—वार्ड नं. 25, आदर्श नवीन नगर,  
शाजापुर.

(G-787)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गायत्री फिलिंग स्टेशन जो हाउस नं. 49, विलेज रननोड, शिवपुरी, म.प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/01/0035/22, दिनांक 09-06-2022 है. जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार श्रीमती गायत्री अहिरवार पत्नी श्री लोचन लाल अहिरवार, निवासी हाउस नं. 49, विलेज रननोड, तहसील कैलारस, शिवपुरी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं. फर्म में दो भागीदार होने से एक के पृथक् हो जाने के कारण फर्म स्वतः भंग हो गई है एवं इसी दिनांक 01-04-2023 से भागीदार श्री मनीष कुमार प्रॉपराइटर्स के रूप में फर्म को संचालित करेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मेसर्स गायत्री फिलिंग स्टेशन

मनीष कुमार

(भागीदार)

पता—हाउस नं. 49, विलेज रननोड,  
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-788)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सुभाष वस्त्रालय जिसका पंजीयन क्रमांक 352 व पंजीयन दिनांक 01-06-1974 तथा पता 5 शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा चौक इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमें 20-11-1980 वाले भागीदारी विलेख में 4 भागीदार 1. सोमचन्द्र राजमल जैन, 2. श्रीमती जवरबाई केशरीमल जैन, 3. श्री सुरेश कुमार चांदमल जैन, 4. श्रीमती राजूबाई शिखरचंद जैन थे. दिनांक 10-04-1989 को फर्म में 3 नए साझेदार. 1. श्रीमती किरणबाला धूलचन्द जैन, 2. श्री महेंद्र कुमार केशरीमल जैन, 3. श्री अशोक कुमार केशरीमल जैन शामिल हुए तथा इसी दिन 3 साझेदार 1. सोमचन्द्र राजमल जैन, 2. श्री सुरेश कुमार चांदमल जैन, 3. श्रीमती राजूबाई शिखरचंद जैन फर्म से रिटायर हो गए. तत्पश्चात् दिनांक 12-09-2006 फर्म की एक भागीदार श्रीमती जवरबाई केशरीमल जैन की मृत्यु हो गयी जिस हेतु 29-09-2006 को शेष भागीदारों द्वारा नवीन लेख निष्पादित कर लिया. तत्पश्चात् दिनांक 01-04-2019 को फर्म की एक भागीदार

श्रीमती किरणबाला धूलचन्द जैन फर्म से रिटायर हो गयी एवं इसी दिन श्री धूलचन्द केशरीमल जैन फर्म में नए भागीदार के रूप में शामिल हो गए। अतः वर्तमान में फर्म में 3 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं:- 1. श्री महेंद्र कुमार केशरीमल जैन, 2. श्री अशोक कुमार केशरीमल जैन, 3. श्री धूलचन्द केशरीमल जैन जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो।

फर्म: मेसर्स सुभाष वस्त्रालय,  
महेंद्र कुमार, केशरीमल जैन,  
(भागीदार)

पता—19, नीलकंठ, कॉलोनी, इन्दौर।

(G-789)

### कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2023

प्रारूप—अठारह

[ नियम 19(5) देखिए ]

[ धारा 50 की उप—धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

क्र./जविप्रा—भू—अर्जन—2023—44.—एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक —TDS-05/JBP-2022 यथा ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप—धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप—नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण 7ए सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर।
2. नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर ब्लॉक क्रमांक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर तथा प्राधिकरण की वेबसाईट [jdajabalpur.org](http://jdajabalpur.org) पर भी उपलब्ध है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन दिनांक 19—05—2023 से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा।

(G-790)

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शैलजा रिछारिया पति श्री राकेश कुमार रिछारिया, निवासी—9/1, सांदीपनी परिसर, इंदिरा नगर, उज्जैन, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ शादी पूर्व मेरा सरनेम शैलजा पांडे था। विभाग में श्रीमती शैलजा रिछारिया दर्ज है। अतः अब मैं शैलजा रिछारिया नाम से व सरनेम से जानी जाती हूँ।

शैलजा रिछारिया,  
9/1, सांदीपनी परिसर,  
मंगलनाथ रोड, इंदिरानगर, उज्जैन।

(G-791)

### नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, तखत सिंह जाटव पुत्र श्री ख्यालीराम जाटव, वार्ड नं. 14, पंडित दीनदयाल कालोनी, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ, मैंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह जाटव रख लिया है। इसलिए मुझे अब इस नये नाम से ही जाना—पहचाना जाये तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में भी मेरा नया नाम विजय सिंह जाटव पुत्र श्री ख्यालीराम जाटव अंकित किया जावे।

पुराना नाम

(तखत सिंह जाटव)

नया नाम

(विजय सिंह जाटव)

(G-792)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने (फरहीन खान पुत्री सगीर अहमद खान, आयु 29 वर्ष, निवासी—थाठीपुर मस्जिद कम्पाउण्ड, थाठीपुर, ग्वालियर) अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर आजिल खान (Azil Khan) के स्थान पर फाजिल खान (Fazil Khan) कर लिया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम फाजिल खान (Fazil Khan) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम

(आजिल खांन)

नया नाम

(फाजिल खांन)

(G-793)

निवासी—वार्ड नं. 24, थाठीपुर मस्जिद, कम्पाउण्ड, थाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती माया उमरे पति श्री पदम सिंह उमरे, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक प्रपत्र में मेरा नाम श्रीमती माया उमरे अंकित है। मेरे नाम की सम्पत्ति के दस्तावेज (विक्रय—पत्र) में मेरा नाम श्रीमती माया वर्मा पति श्री पदम सिंह वर्मा दर्ज है। ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः मेरे नाम की सम्पत्ति के दस्तावेज (विक्रय—पत्र) में मेरा नाम श्रीमती माया वर्मा के स्थान पर श्रीमती माया उमरे नाम पढ़ा जाये।

पुराना नाम

(माया वर्मा)

नया नाम

(माया उमरे)

(G-794)

निवासी—मकान नंबर—120, शान्ति नगर, बरखेडा पठानी, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, डिम्पल वल्के, मेरा कक्षा 10वीं, केन्द्रीय विद्यालय, मलांजखण्ड की अंकसूची में मेरा नाम डिम्पल वल्के पिता विजय वल्के की स्पेलिंग (DIMPLE WALKEY D/o VIJAY WALKEY) दर्ज है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।

इसका सही स्पेलिंग DIMPLE WALKE D/o VIJAY WALKE है। इसे ही दर्ज किया जाना है। अन्य शासकीय दस्तावेजों में DIMPLE WALKE D/o VIJAY WALKE ही है।

पुराना नाम

(DIMPLE WALKEY)  
D/o VIJAY WALKEY

नया नाम

(DIMPLE WALKE)  
D/o VIJAY WALKE

(G-795)

### नाम परिवर्तन

मैं अपना नाम अनीता गुप्ता पत्नी सियाराम गुप्ता के स्थान पर अनीता अग्रवाल पत्नी सियाराम अग्रवाल कर रही हूँ, अब मैं, भविष्य में अनीता अग्रवाल पत्नी सियाराम अग्रवाल के नाम से जानी—पहचानी व पुकारी जाऊंगी एवं यही नाम मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनीता गुप्ता)	(अनीता अग्रवाल)
पत्नी—सियाराम गुप्ता	पत्नी—सियाराम अग्रवाल निवासी—303, आर.एस.टावर, खुर्जवाला मोहल्ला, जिन्सी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-796)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को इस सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि मैं, गौरव राय पिता श्री मुन्नालाल राय, निवासी वार्ड क्रमांक—15, नौरोजाबाद कुदरी थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया मध्यप्रदेश इस सूचना के जरिये सूचित करता है, कि मेरे आधार कार्ड, परिचय—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गुड़ू राय दर्ज है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम गौरव राय है, मैं, अपने शैक्षणिक दस्तावेज एवं मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही नाम गौरव राय उल्लेखित किये जाने हेतु यह सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया हूँ, मेरा सही व वास्तविक नाम गौरव राय है और इसी नाम से मैं जाना व पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़ू राय)	(गौरव राय)
	पिता—श्री मुन्नालाल राय, निवासी—वार्ड क्रमांक—15, नौरोजाबाद कुदरी थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.).

(G-797)

### नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा श्रीमती समीक्षा बन्सोड पत्नि श्री मोरेश्वर बन्सोड, निवासी—बी—4, सिग्नेचर सिटी, कटारा, हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462043, मेरी पक्षकारा का नाम शादी से पूर्व कुमारी वैशाली पिता श्री रमेश जी मेश्राम था. मेरा विवाह श्री मोरेश्वर बन्सोड से जय जलाराम मंगल कार्यालय, हिरवी नगर चौक, नागपुर, महाराष्ट्र होने के कारण अब मेरी पक्षकार का नाम श्रीमती समीक्षा बन्सोड पत्नी श्री मोरेश्वर बन्सोड के नाम से जाना जावे एवं मेरे समस्त प्रपत्रों में अब मेरा नाम श्रीमती समीक्षा बन्सोड पत्नी श्री मोरेश्वर बन्सोड के नाम से लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कुमारी वैशाली)	(समीक्षा बन्सोड)
पिता—श्री रमेश जी मेश्राम	पत्नी—श्री मोरेश्वर बन्सोड निवासी—बी—4, सिग्नेचर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल.

(G-798)

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह के साथ मेरा विवाह हुआ. सभी दस्तावेजों में मेरा नाम भावना माल पति विनीत माल दर्ज है. जबकि वास्तविकता में मेरा सही नाम भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम  (भावना माल) पति—विनीत माल	नया नाम  (भावना सिंह) पति—विनीत प्रताप सिंह.
--	---

(G-799)

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह के साथ मेरा विवाह हुआ. विवाह के पश्चात मेरी पुत्री जाहन्वी सिंह है. जाहन्वी सिंह के जन्म के समय से उसके सभी दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम जानवी माल पिता विनीत माल है. जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम जानवी सिंह पिता श्री विनीत प्रताप सिंह है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  (जानवी माल) पिता—विनीत माल	नया नाम  (जाहन्वी सिंह) पिता—विनीत प्रताप सिंह.
---	--

(G-800)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम (RAVINDRA DIKSHIT) था. अब वर्तमान में मुझे (RAVINDRA DIXIT), मकान नं. R-16 ग्रीन हाईट कॉलोनी, E-8, गुलमोहर, भोपाल के नाम से सभी सरकारी/गैर-सरकारी दस्तावेजों में जाना—पहचाना जावे.

पूर्व में मेरा नाम (JYOTI DIKSHIT) था. अब वर्तमान में मुझे (JYOTI DIXIT) पति (RAVINDRA DIXIT), R-16 ग्रीन हाईट कॉलोनी E-8, गुलमोहर, भोपाल के नाम से सभी सरकारी/गैर-सरकारी दस्तावेजों में जाना—पहचाना जावे.

रविन्द्र दीक्षित.  
(G-801)

### CHANGE OF NAME

Earlier My Name was Jyoti Dikshit from now I should be known as Jyoti Dixit W/o Commander Ravindra Dixit R/o R-16, Green Heights, Gulmohar, E/8, Bhopal-39, in all the Govt./Non Govt. Documents.

Earlier My Name was Ravindra Dikshit from now I should be known as Ravindra Dixit R/o R-16, Green Heights, Gulmohar, E/8, Bhopal-39, in all the Govt./Non Govt. Documents.

रविन्द्र दीक्षित.  
(G-802)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अंजु गुप्ता पति श्री गोविंद गुप्ता, निवासी 3, मारोठिया बाजार, इन्दौर होकर मैंने मेरे नाम से भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी आधार नंबर 9158 4168 6503 जारी करवाया गया था. जिसमें

त्रुटिवश अंजली गुप्ता पति गोविन्द दास गुप्ता अंकित हो गया था जिसे मैं दुरस्थ करवाकर मेरा वर्तमान प्रचलित नाम अंजु गुप्ता पति श्री गोविन्द गुप्ता करवा रही हूँ तथा भविष्य में मुझे अंजु गुप्ता पति श्री गोविंद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम	नया नाम
(अंजली गुप्ता)	(अंजु गुप्ता)
(G-803)	

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स हरि ओम कन्सट्रक्शन मुख्यालय गंज मुहल्ला, जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में से बाबूलाल गुप्ता तनय श्री परमानन्द गुप्ता सेवामुक्त हो गये हैं। उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 04-04-2023 से लागू माना जायेगा।

मेसर्स हरि ओम कन्सट्रक्शन,	
प्रार्थना गुप्ता, गौरव गुप्ता	
(भागीदार)	
(G-804)	

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स साई ड्रष्टि डेवलपर्स, पुराना पता—12/1, जी.एन.टी. मार्केट, नया पता—122, सिलिकान सिटी (राऊ), इन्दौर पर होकर पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0214-20 है। फर्म की स्थापना 06-01-2016 को तीन भागीदारों (1) चन्द्रकांत जुडियामल बजाज, (2) संजय मनाहरलाल कारडा, (3) श्वेता प्रनीत मंत्री के माध्यम से हुई थी। उपरोक्त फर्म में आज दिनांक तक निम्न संशोधन किये जा चुके हैं। (1) प्रथम संशोधन दिनांक 29-01-2016 जिसके माध्यम के श्रीमान संजय मनोहरलाल कारडा निजी कारणों से फर्म से अलग हो गये एवं श्रीमान सिद्धार्थ पिता श्री योगेश संघवी, निवासी प्रगति विहार, बिचौली मर्दाना, इन्दौर फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हुये थे। (2) द्वितीय संशोधन दिनांक 28-11-2017 जिसके माध्यम के श्रीमान सिद्धार्थ पिता श्री योगेश संघवी निजी कारणों से फर्म से अलग हो गये जिसके उपरान्त केवल दो भागीदार ही उक्त फर्म में रह गये थे। (3) तृतीय संशोधन दिनांक 09-12-2021 वर्तमान संशोधन के माध्यम से श्रीमती श्वेता मंत्री निजी कारणों से फर्म से अलग हो गई हैं। जिनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में श्रीमान सुनिल पिता श्री जुडियामल बजाज फर्म में शामिल हो गये। उक्त दिनांक से फर्म का पता 122, सिलिकान सिटी (राऊ), इन्दौर पूर्व पते के स्थान पर कर दिया गया है।

इस प्रकाशन पर यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो कृपया प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करें।

For Sai Drashti Developers,

(1) चंद्रकांत बजाज, (2) सुनिल बजाज,

(Partner)

पता—122, सिलिकान सिटी (राऊ),

इन्दौर।

(G-805)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मंगलम् एसोसियट्स जो महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर, म.प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/47/01/00193/10, दिनांक 10-03-2010 है. जिसमें दिनांक 01-06-2010 को श्री नाथूलाल शिवहरे पुत्र श्री सीताराम शिवहरे, निवासी-218, शाहपुरा, सेक्टर बी-भोपाल (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में समिलित हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2012 को भागीदार श्री नाथूलाल शिवहरे पुत्र श्री सीताराम शिवहरे, निवासी-218, शाहपुरा, सेक्टर बी-भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2023 को 1. श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी पुत्र रामबिहारी त्रिपाठी, निवासी-501, तुलीप बिल्डिंग, निखिल नेस्ले, होशंगाबाद रोड, अशीमा मॉल के पास, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.), 2. श्री मुनीश वर्मा पुत्र श्री बुआदत्ता वर्मा, निवासी-मकान नं. 8, वार्ड नं. 1, विजयपुर, जिला साम्वा, जम्मू एण्ड कश्मीर, 3. कृष्ण रामनिका सिंह पुत्री श्री योगेंद्र सिंह, निवासी-54, निखिल नेस्ले, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2023 को फर्म का मुख्य कार्यालय, महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर से परिवर्तित होकर नवीन स्थान 46, निखिल नेस्ले, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) हो गया है.

मेसर्स मंगलम् एसोसियट्स,

योगेंद्र कुमार सिंह,

(भागीदार)

महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-806)

### नाम परिवर्तन

सर्वजन सूचित हो कि मुझ प्रार्थिनी VITUL VANSHKAR के आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम ममता जावट (MAMTA JAVAT) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम विटुल जाटव दर्ज है, जबकि मुझ प्रार्थिनी का सही नाम VITUL VANSHKAR है. उक्त दोनों नाम मुझ प्रार्थिनी के ही हैं. अतः मेरे आधार कार्ड व वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम VITUL VANSHKAR ही लिखा, पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(MAMTA JAVAT/VITUL JATAV)

(विटुल वंशकार) (VITUL VANSHKAR)

C/o MAHESH

C/o MAHESH

निवासी-16, प्रेमनगर, डबरा,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-807)

### नाम परिवर्तन

मेरा बचपन का नाम रामशरण दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राघव दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित लिखा गया है, जो कि सत्य व सही है. रामशरण दीक्षित एवं राघव दीक्षित मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मुझे राघव दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित नाम से ही जाना—पहचाना जावे व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राघव दीक्षित दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रामशरण दीक्षित)

(राघव दीक्षित)

पुत्र—थानेदार दीक्षित

पुत्र—थानेदार दीक्षित

(G-808)

पता—पुरानी चुंगी के पास, गुड़ा—गुड़ी

का नाका, कम्पू लश्कर, गिर्द,

ग्वालियर (म.प्र.).

## न्यायालयों की सूचनाएँ

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, उपखण्ड—जावद,  
जिला नीमच मध्यप्रदेश**

प्र. क्र. 0001—बी—113(1)—2021—22—2867.

जावद, दिनांक 12 अप्रैल 2023

प्रारूप—क्रमांक—4

[ देखें नियम 5(1) देखिये ]

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म.प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5)(1) के द्वारा आवेदक मुख्य न्यासी श्री मनोहर पिता मोहनलाल सोनी, निवासी रत्नगढ़, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश, श्री डेर वाले संकट मोचन, श्री हनुमान मंदिर, नीमच—सिंगोली रोड, रत्नगढ़, तहसील सिंगोली जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 25 मई 2023 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यवित को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	श्री डेर वाले संकट मोचन, श्री हनुमान मंदिर, नीमच—सिंगोली रोड, रत्नगढ़, तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)
-------------------------	---

(G-809)

शिवानी गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग—पुनासा  
जिला खण्डवा मध्यप्रदेश**

प्र.क्र.00—बी—113(1)—2022—23

दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रारूप—चार

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ]

आवेदक श्री राजेश पिता रामकिशन जायसवाल नि. बडवाह तह. बडवाह जिला खरगोन वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा “ अतिथि भवन हैहय् क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी’ तह. पुनासा जिला खण्डवा म.प्र. का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एकट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 12.05.2023 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपरिक्त हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

### — अनुसूची —

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता—: “ अतिथि भवन हैह्य क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी” .

पता—:

“ अतिथि भवन हैह्य क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी”  
तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र.

### — अनुसूची “अ” —

चल संपत्ति :— नगद — 432008-00 रुपये बैंक खाते में नगद जमा,

### — अनुसूची “ब” —

- अचल संपत्ति:—
- 1— तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर के समीप ग्राम कोठी, तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र. में पटवार. ह.न. 4 कोठी स्थित व्यपवर्तित भूमि ख.न. 236 / 2 रकबा 1.50 एकड़ भूमि
  - 2— उक्त भूमि पर निर्मित दो मंजिला भृक्त्रान जिसमें में 54 कमरे मय फर्नीचर, एक हाल, डोम, मंदिर, रसोई घर, मोटर सहित ट्यूबवेल, गैट एवं बाउंड्रीगाल निर्मित है। भवन में लगे अन्य उपकरण एवं आयोजन उपयोगी अन्य वस्तुएं।

(G-810)

चन्द्रसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट संत हिरदाराम नगर  
(बैरागढ) वृत्त भोपाल

क्रमांक 417—रीडर—2023.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

प्र. क्र. 0001—बी—113—2023—24.

### सार्वजनिक उद्दघोषणा

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत )

रागक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

जेरा कि आवेदक श्री सुदीप खरे, प्रबन्ध न्यासी अध्यक्ष रेवादा अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास, भोपाल, निवासी 265 ब्लू 2, आकृति हाईलैंपड, राधा री छाणी के सामने फन्दा, भापाल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “रेवादा अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास” पता -26 ए एकप्रौटिका विला कालांगी गांधीनगर बायपारा आशाराम तिराहा भोपाल (म0प्र0) के पंजीयन हेतु अनुरोध किया गया है।

२ एहतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे यायालय मेरे द्वारा दिनांक 11/05/2023 को विवार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो टस्ट मेरा सम्पत्ति मेरी है तो उसका हासिला हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक का उपरिथत होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुरूपीः

दृष्टि का नाम व पता

रेवाक्ष अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास"  
पता-26-ए एकजोटिका विला कालोनी गांधीनगर  
बायपास आशाराम तिराहा भोपाल (म0प्र0)

अवल रामपति

5,000/- (पाँच हजार मात्र)

वल सम्पत्ति

निरंक

(G-811)

मनोज उपाध्याय, रजिस्ट्रार

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर

क्र. परि.-2023-582

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत)

दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, करैया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1344 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/247 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, करैया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1344 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-812)

क्र. परि.-2023-583

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, शिकारपुर, वि.खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1346 दिनांक 04.12.2010** (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स. दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/248 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, शिकारपुर, वि.खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1346 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत ~~श्रीमती~~ अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को ऊक संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-813)

क्र. परि.-2023-584

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, रामपुर, वि.खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1349 दिनांक 04.12.2010** (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स. दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/249 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, रामपुर, वि.खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1349 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के ~~श्रीमती~~ अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को ऊक संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-814)

क्र. परि.-2023-585

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, बेरखेड़ी गोपाल, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1353 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/250 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, बेरखेड़ी गोपाल, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1353 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-815)

क्र. परि.-2023-587

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, भैंसा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1356 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/251 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, भैंसा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1356 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-816)

क्र. परि.-2023-588

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सहजपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सहजपुर, वि०खं० केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1359 दिनांक 03.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/253 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सहजपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सहजपुर, वि०खं० केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1359 दिनांक 03.08.2011 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-817)

क्र. परि.-2023-589

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

हंसरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, हंसरई, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1365 दिनांक 24.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/255 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत हंसरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, हंसरई, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1365 दिनांक 24.08.2011 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-818)

क्र. परि.-2023-590

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पचपीपरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, पचपीपरा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1369 दिनांक 26.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स० दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/256 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत पचपीपरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, पचपीपरा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1369 दिनांक 26.08.2011 को अस्सिमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-819)

क्र. परि.-2023-592

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

छिरारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, छिरारी, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1374 दिनांक 28.09.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स० दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/257 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत छिरारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, छिरारी, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1374 दिनांक 28.09.2011 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-820)

क्र. परि.-2023-593

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बंसिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बंसिया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1396 दिनांक 31.12.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/258 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत बंसिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बंसिया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1396 दिनांक 31.12.2011 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, संपार क्र० उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-821)

क्र. परि.-2023-594

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढगरानियां दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, ढगरानियां, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1400 दिनांक 02.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/259 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ढगरानियां दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, ढगरानियां, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1400 दिनांक 02.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, संपार को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-822)

क्र. परि.-2023-595

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

चन्द्रापुर दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, चन्द्रापुर, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 02.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.सं.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/260 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्तन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्तन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत चन्द्रापुर दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, चन्द्रापुर, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 02.01.2012 को परिसमाप्तन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमाप्तक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-823)

क्र. परि.-2023-596

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सेवन दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, सेवन, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1406 दिनांक 17.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.सं.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/261 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्तन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्तन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सेवन दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, सेवन, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1406 दिनांक 17.01.2012 को परिसमाप्तन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सुमर को उक्त संस्था का परिसमाप्तक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-824)

क्र. परि.-2023-597

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बेरखेड़ी खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बेरखेड़ी खुर्द, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1408 दिनांक 17.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/262 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बेरखेड़ी खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बेरखेड़ी खुर्द, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1408 दिनांक 17.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-825)

क्र. परि.-2023-598

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

चनौआ खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, चनौआ खुर्द, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1411 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/263 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत चनौआ खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, चनौआ खुर्द, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1411 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-826)

क्र. परि.-2023-599

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बरोदिया बल्लभ दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बरोदिया बल्लभ, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं. /F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/264 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बरोदिया बल्लभ दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बरोदिया बल्लभ, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-827)

क्र. परि.-2023-600

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जरारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, जरारा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1413 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/265 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जरारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, जरारा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1413 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सामूकौ उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-828)

क्र. परि.-2023-601

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ईशुरवारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, ईशुरवारा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1416 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/266 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ईशुरवारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, ईशुरवारा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1416 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-829)

क्र. परि.-2023-602

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

नरयावली दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, नरयावली, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1417 दिनांक 22.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/267 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत नरयावली दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, नरयावली, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1417 दिनांक 22.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-830)

क्र. परि.-2023-603

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पड़रिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, पड़रिया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1420 दिनांक 25.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/268 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत पड़रिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, पड़रिया, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1420 दिनांक 25.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-831)

क्र. परि.-2023-604

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

कानीखेड़ाकलां दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, कानीखेड़ाकलां, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1429 दिनांक 20.04.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/270 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत कानीखेड़ाकलां दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, कानीखेड़ाकलां, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1429 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-832)

क्र. परि.-2023-605

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सासा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, सासा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1438 दिनांक 27.04.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र. /29/क्षे.सं. /F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/271 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सासा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, सासा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1438 दिनांक 27.04.2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनमिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-833)

क्र. परि.-2023-606

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

रिछाई दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, रिछाई, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1443 दिनांक 22.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र. /29/क्षे.सं. /F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/272 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत रिछाई दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, रिछाई, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1443 दिनांक 22.06.2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनमिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-834)

क्र. परि.-2023-607

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बमनौरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बमनौरा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 22.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/273 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्त में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्त में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बमनौरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, बमनौरा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 22.06.2012 को परिसमाप्त में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमाप्त किया गया हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-835)

क्र. परि.-2023-608

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मदनतला दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, मदनतला, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1450 दिनांक 28.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/274 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्त में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्त में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मदनतला दुग्ध समिति सहकारी मर्या०, मदनतला, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1450 दिनांक 28.06.2012 को परिसमाप्त में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमाप्त किया गया हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-836)

क्र. परि.-2023-611

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

कासलपिपरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, कासलपिपरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1481 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे०सं०/F.No.-120/बु.स.दु.स./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/275 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत कासलपिपरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, कासलपिपरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1481 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, समूर्ख को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। ॥

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-837)

क्र. परि.-2023-612

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सिंगारचौरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सिंगारचौरी, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1483 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे०सं०/F.No.-120/बु.स.दु.स./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/276 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सिंगारचौरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सिंगारचौरी, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1483 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ समूर्ख, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। ॥

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-838)

क्र. परि.-2023-613

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

भौहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भौहारी, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1490 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/277 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भौहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भौहारी, वि०खं० सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1490 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-839)

क्र. परि.-2023-614

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सेमराधौना दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सेमराधौना, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1492 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/278 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशाराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सेमराधौना दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सेमराधौना, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1492 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-840)

क्र. परि.-2023-615

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पटनाबुजुर्ग दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, पटनाबुजुर्ग, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1493 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/279 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत पटनाबुजुर्ग दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, पटनाबुजुर्ग, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1493 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उत्तर संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। |||

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-841)

क्र. परि.-2023-616

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सागोनीखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सागोनीखुर्द, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1495 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/280 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सागोनीखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सागोनीखुर्द, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1495 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उत्तर संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। |||

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-842)

क्र. परि.-2023-617

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

अगरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, अगरा, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/281 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत अगरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, अगरा, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-843)

क्र. परि.-2023-618

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढकरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, ढकरई, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1500 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/282 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ढकरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, ढकरई, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1500 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-844)

क्र. परि.-2023-619

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मढ़िया अग्रसेन दुर्घ सहकारी समिति मर्या०, मढ़िया अग्रसेन, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1501 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/283 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मढ़िया अग्रसेन दुर्घ सहकारी समिति मर्या०, मढ़िया अग्रसेन, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1501 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-845)

क्र. परि.-2023-620

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जलंधर दुर्घ सहकारी समिति मर्या०, जलंधर, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1504 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/284 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जलंधर दुर्घ सहकारी समिति मर्या०, जलंधर, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1504 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-846)

क्र. परि.-2023-614

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बरबटू वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1505 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/285 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बरबटू वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1505 दिनांक 13.10.2014 को पुरिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-847)

क्र. परि.-2023-615

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बसियाभौती दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बसियाभौती, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1506 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/286 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बसियाभौती दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बसियाभौती, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1506 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-848)

क्र. परि.-2023-616

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

लुहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, लुहरा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1508 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/287 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत लुहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, लुहरा, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1508 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजूय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-849)

क्र. परि.-2023-617

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

खैराई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, खैराई, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1509 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/288 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत खैराई दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, खैराई, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1509 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-850)

क्र. परि.-2023-618

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

हनौता पारीक्षित दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, हनौता पारीक्षित, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1511 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/289 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत हनौता पारीक्षित दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, हनौता पारीक्षित, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1511 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-851)

क्र. परि.-2023-619

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, कठेली, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1532 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/290 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, कठेली, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1532 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-852)

क्र. परि.-2023-620

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, बम्होरी नवाब, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1533 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/291 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, बम्होरी नवाब, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1533 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-853)

क्र. परि.-2023-621

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, ग्वारी, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1535 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/292 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, ग्वारी, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1535 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-854)

क्र. परि.-2023-622

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, पिपरिया गोपाल, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1536 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/293 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, पिपरिया गोपाल, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1536 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-855)

क्र. परि.-2023-623

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, अगरा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1540 दिनांक 31.03.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/294 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, अगरा, वि०खं० शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1540 दिनांक 31.03.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-856)

क्र. परि.-2023-624

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, विद्वासन, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1549 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/295 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, विद्वासन, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1549 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। ॥

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-857)

क्र. परि.-2023-625

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, करैयागूजर, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1550 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/296 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, करैयागूजर, वि०खं० खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1550 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। ॥

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-858)

क्र. परि.-2023-626

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, कालीपठार, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1551 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घट संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.स०/F.No.-120/बु.स.दु.स०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/297 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, कालीपठार, वि०खं० जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1551 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घट संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-859)

क्र. परि.-2023-627

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

उजनेट दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, उजनेट, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1557 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घट संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.स०/F.No.-120/बु.स.दु.स०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/298 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत उजनेट दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, उजनेट, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1557 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घट संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-860)

क्र. परि.-2023-628

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

खटौराकलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, खटौराकलां, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं. /F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/299 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत खटौराकलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, खटौराकलां, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उत्तर संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-861)

क्र. परि.-2023-629

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मढ़ावनमार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, मढ़ावनमार, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1565 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं. /F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/300 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मढ़ावनमार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या०, मढ़ावनमार, वि०खं० मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1565 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उत्तर संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-862)

क्र. परि.-2023-630

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

रेगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, रेगुवां, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1576 दिनांक 21.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कायालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/301 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत रेगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, रेगुवां, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1576 दिनांक 21.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-863)

क्र. परि.-2023-631

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मुड़ियादेहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, मुड़ियादेहरा, वि०खं० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1588 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कायालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/302 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मुड़ियादेहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, मुड़ियादेहरा, वि०खं० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1588 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-864)

क्र. परि.-2023-632

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**बिल्धव दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बिल्धव, वि०ख० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1590 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/303 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।**

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत बिल्धव दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, बिल्धव, वि०ख० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1590 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-865)

क्र. परि.-2023-633

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**गिरौल दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, गिरौल, वि०ख० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1591 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं. /2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/304 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।**

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत गिरौल दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, गिरौल, वि०ख० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1591 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-866)

क्र. परि.-2023-634

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढांड दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, ढांड, वि०खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1600 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओं सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/305 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओं सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओं सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ढांड दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, ढांड, वि०खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1600 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-867)

क्र. परि.-2023-635

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सींगना दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सींगना, वि०खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1601 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओं सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/306 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओं सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओं सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सींगना दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सींगना, वि०खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1601 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था की परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-868)

क्र. परि.-2023-636

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**भबूकावारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भबूकावारी, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1602 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/307 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।**

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भबूकावारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भबूकावारी, वि०खं० राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1602 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-869)

क्र. परि.-2023-637

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

**सावलखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सावलखिरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1605 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं०/F.No.-120/बु.स.दु.सं०/2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमापन/2022/308 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।**

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सावलखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, सावलखिरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1605 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर का उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-870)

क्र. परि.-2023-638

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जरियाखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, जरियाखिरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1606 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/309 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्त में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्त में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जरियाखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, जरियाखिरिया, वि०खं० रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1606 दिनांक 28.03.2018 को परिसमाप्त में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-871)

क्र. परि.-2023-639

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

भानगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भानगढ़, वि०खं० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1607 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र०/29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमाप्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र०/परिसमाप्त/2022/310 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमाप्त में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमाप्त में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भानगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, भानगढ़, वि०खं० बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1607 दिनांक 28.03.2018 को परिसमाप्त में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-872)

क्र. परि.-2023-640

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत]

लेटवास दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, लेटवास, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1608 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या० सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/311 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत लेटवास दुग्ध सहकारी समिति मर्या०, लेटवास, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1608 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संज्ञच अद्विरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या०, सागर को उक्त संस्था को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार

(G-873)

### कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भिण्ड

क्र. परि.-2023-450

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/61 दिनांक 07/02/2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भिण्डिल और जोतवाल वि.खं. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र.डी.आर./बी एच.डी./433 दिनांक 11.12.1986 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में यहाँ बया द्या कि, क्यों न सूचना पत्र ने उल्लिखित कारणों में संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिनों का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित दृभा भूमि और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अव्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस घिण्डवाल द्वारा यहाँने का पर्याप्त आधार है कि, जनाय गये जारीप की नई अनियान्त्रितता भूमि के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तिया जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुद्रित है। का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थाये जिला भिण्ड दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जौरी कोतवाल दिख, अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/433 दिनांक 11.12.1986 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर के जैन सोसायटी पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-874)

क्र. परि.-2023-449

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/60 दिनांक 07/02/2023 द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उद्बन्धखेड़ा विष्व अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/439 दिनांक 11.12.1986 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थाये अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु सरथा को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम सम्यावधि में अपना पक्ष मजाकिन हेतु जो तो कोइं पार्टिकुलर उपस्थित हुआ और जो कोइं भी लिखित में संस्था की ओर से कोइं भी अध्यावेदन प्रस्तुत किया गया; अतः इस जिष्कर्ष पर पहुँचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तिया जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुद्रित है। का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थाये जिला भिण्ड दुर्घट उत्पादक सहकारी सरथा मर्यादित उद्बन्धखेड़ा विष्व अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/439 दिनांक 11.12.1986 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर के जैन सोसायटी पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-875)

क्र. परि.-2023-448

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/59 दिनांक 07/02/2023 द्वारा ग्रामीण महिला वहउद्दीय सहकारी संस्था मर्यादित अटेर विष्व. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1111 दिनांक 05.01.2019 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थाये अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम सम्बन्धित में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

**मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तिया जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञित क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित अटेर वि.ख.अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1111 दिनांक 05.01.2019 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आरके जैन सोलोने पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।**

(G-876)

क्र. परि.-2023-447

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/58 दिनांक 07/02/2023 द्वारा शक्तिपुज ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/861 दिनांक 07.02.2003 को निरन्तर विभिन्न 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण मैं प्र सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताऊं सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम सम्बन्धित में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

**मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तिया जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञित क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड शक्तिपुज ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/861 दिनांक 07.02.2003 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आरके जैन सोलोने पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।**

(G-877)

क्र. परि.-2023-446

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/56 दिनांक 07/02/2023 द्वारा साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित पिंडोरा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./बी.एच.डी/1016 दिनांक 25.02.2016 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के सबध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं अनुमति सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित पिंडोरा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./बी.एच.डी/1016 दिनांक 25.02.2016 को परिसमापन द्वारा लाती हैं तथा श्री आरके ट्रेन सोलो पटस्टन निरी... को जागामा आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हैं।

(G-878)

क्र. परि.-2023-445

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/55 दिनांक 07/02/2023 द्वारा मोमबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित खड़ेरी वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./बी.एच.डी/1047 दिनांक 23.06.2015 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के सबध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बीज उत्पादक उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित खड़ेरी दिख, अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1047 दिनांक 23.06.2015 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के जैन सोलाने पद सर निरी... को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-879)

क्र. परि.-2023-444

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कायोल्योन पत्र क्र./परि./2023/53 दिनांक 07/02/2023 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारीपुरा विकास खण्ड मेहगांव पंजीयन क्रमांक/डीआर/बीएचडी/943 दिनांक 13.08.2007 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अन्यावेदन प्रस्तुत किया गया; अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संरथा कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारीपुरा पंजीयन क्रमांक/डीआर/बीएचडी/943 दिनांक 13.08.2007 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री ऊस्लोक जामकु पद सर निरी... को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-880)

क्र. परि.-2023-443

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कायोल्योन पत्र क्र./परि./2023/57 दिनांक 07/02/2023 द्वारा मां पीताम्बरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित मेहगांव जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/990 दिनांक 04.06.2011 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विजिट क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड मां पीताम्बरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित मेहगांव जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/990 दिनांक 04.06.2011 को परिसमापन में लाती हैं तथा श्री आलोक नायक पटसहन निरीक्षक को आगामी आठेश तक परिसमापक नियुक्त करती हैं।

(G-881)

क्र. परि.-2023-442

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कायातीलयीन पत्र क्र./परि./2023/53 दिनांक 07/02/2023 द्वारा बालाजी साख सहकारी संस्था मर्यादित भिण्ड वि.ख. भिण्ड अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1084 दिनांक 13.08.1999 को निरन्तर विवत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें विण्ठ आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों ज सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया आवे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विजिट क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बालाजी साख सहकारी संस्था मर्यादित भिण्ड वि.ख. भिण्ड जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1084 दिनांक 13.08.1999 को परिसमापन में लाती हैं तथा श्री माताप्रेस(द) पटसहन निरीक्षक को आगामी आठेश तक परिसमापक नियुक्त करती हैं।

(G-882)

अनुभा सूद, उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

---

### भाग ३ ( २ )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )